SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

लेखे एक दृष्टि में
2024-25

छत्तीसगढ़ शासन

लेखे एक दृष्टि में

2024–25

छत्तीसगढ़ शासन

प्राक्कथन

वर्ष 2024–25 के वार्षिक प्रकाशन 'लेखे एक दृष्टि में' को प्रस्तुत करते हुए मैं प्रसन्न हूँ, जो वित्त लेखे और विनियोग लेखे में परिलक्षित शासन के गतिविधियों का विहंगावलोकन दर्शाता है।

वित्त लेखे में समेकित निधि, आकस्मिक निधि और लोक लेखे के अन्तर्गत लेखों की विवरणियों का सार होता है। विनियोग लेखे के अंतर्गत राज्य विधानसभा द्वारा अनुमोदित बजट प्रावधानों के विरूद्ध किये गये अनुदान वार व्यय अंकित किये जाते हैं तथा प्रावधानिक निधियों एवं वास्तविक व्यय के मध्य अंतर का स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए जाते हैं।

वित्त एवं विनियोग लेखे भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के निर्देशों के अधीन नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्तव्यों, शक्तियों और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार राज्य के विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के पूर्व मेरे कार्यालय द्वारा तैयार किये जाते हैं।

प्रकाशन को सार्थक बनाने हेतु हमें आपके सुझावों की प्रतीक्षा है।

य. कुमार

(यशवंत कुमार)
प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
छत्तीसगढ़

स्थानः रायपुर
दिनांक : 05 जनवरी 2026

हमारा दृष्टिकोण, लक्ष्य एवं आन्तरिक मूल्य

दृष्टिकोण:

(भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक संस्था का दृष्टिकोण हमारी भावी महत्वाकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है)।

हम सार्वजनिक क्षेत्र की लेखा परीक्षा और लेखा में एक वैश्विक अग्रज और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम विधाओं के सर्जक बनने का प्रयास करते हैं और सार्वजनिक वित्त तथा शासन पर स्वतंत्र, विश्वसनीय, संतुलित और समय पर रिपोर्टिंग के लिए मान्यता प्राप्त है।

मिशन:

(हमारा लक्ष्य हमारी वर्तमान भूमिका को प्रतिपादित एवं हम आज जो कर रहे हैं, उसे उल्लिखित करता है)।

भारत के संविधान द्वारा आदेशित, हम उच्च गुणवत्ता की लेखा परीक्षा और लेखांकन के माध्यम से जवाबदेही, पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा देते हैं और अपने हितधारकों– विधानमंडल, कार्यकारी और जनता–जिनके धन का उपयोग दक्षता पूर्वक इच्छित उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है, को स्वतंत्र आश्वासन प्रदान करते हैं।

कोर मूल्य:

(हमारा मूलमंत्र हमारे द्वारा किये गये सभी कार्य जो मार्गदर्शक प्रकाश स्तम्भ है तथा हमारे प्रदर्शन का आकलन करने के लिए मानक होते हैं)।

- स्वतंत्रता
- निष्पक्षता
- अखंडता
- विश्वसनीयता
- व्यावसायिक उत्कृष्टता
- पारदर्शिता
- सकारात्मक पहल

विषय सूची

पृष्ठ संख्या

	प्राक्कथन	iii
	हमारा दृष्टिकोण, लक्ष्य एवं आंतरिक मूल्य	v
अध्याय–I	**अधिदृष्टि**	
1.1	भूमिका	1
1.2	सरकारी लेखों की संरचना	1
1.3	वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे	3
1.4	निधियों के स्त्रोत एवं अनुप्रयोग	5
1.5	राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम, 2005	7
अध्याय– II	**प्राप्तियाँ**	
2.1	भूमिका	9
2.2	राजस्व प्राप्तियां	9
2.3	कर राजस्व	11
2.4	कर वसूली पर लागत	13
2.5	संघीय करों में राज्य के अंश का पिछले पाँच वर्षों का रूझान	14
2.6	सहायता अनुदान	14
2.7	लोक ऋण	15
2.8	पिछले पाँच वर्षो के दौरान निवल लोक ऋण का रूझान	16
2.9	उधार की निधियाँ तथा पूंजीगत व्यय	16
अध्याय– III	**व्यय**	
3.1	भूमिका	17
3.2	राजस्व व्यय	17
3.3	पूंजीगत व्यय	19
3.4	प्रतिबद्ध व्यय	21
अध्याय–IV	**विनियोग लेखे**	
4.1	वर्ष 2024–25 के विनियोग लेखे का सारांश	22
4.2	विगत पाँच वर्षों में बचत/आधिक्य का रूझान	22
4.3	महत्वपूर्ण बचतें	23
4.4	अनावश्यक सिद्ध हुए अनुपूरक अनुदान/विनियोग	23
4.5	व्यय का अतिरेक	27

पृष्ठ संख्या

अध्याय–V	**परिसम्पत्तियां तथा दायित्व**	
5.1	परिसम्पत्तियां	29
5.2	ऋण तथा देनदारियां	29
5.3	प्रतिभूतियां	30
5.4	सेवानिवृत्ति हितलाभों का दायित्व	31
अध्याय–VI	**अन्य मदें**	
6.1	आंतरिक ऋणों के अधीन प्रतिकूल शेष	32
6.2	राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम	32
6.3	स्थानीय निकायों एवं अन्य को वित्तीय सहायता	33
6.4	रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश	34
6.5	लेखों का पुनर्मिलान	34
6.6	लेखे प्रतिपादन इकाईयों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण	34
6.7	असमायोजित संक्षिप्त आकस्मिक व्यय बिल (एसी)	34
6.8	उचंत तथा प्रेषण अवशेषों की स्थिति	35
6.9	शेष उपयोगिता प्रमाणपत्र की स्थिति	36
6.10	विगत पाँच वर्षों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.)	36
6.11	अपूर्ण पूंजीगत निर्माण कार्यों के कारण प्रतिबद्धता	37
6.12	व्यक्तिगत जमा खातों (पी.डी.) में धन का स्थानान्तरण	37
6.13	निवेश	38
6.14	आरक्षित निधि की स्थिति	38

अधिदृष्टि

अध्याय 1

1.1 भूमिका

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़, विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त आँकड़ों को परितुलित, वर्गीकृत एवं संकलित करता है और छत्तीसगढ़ शासन के लेखे तैयार करता है। यह संकलन 34 कोषालयों, 166 लोक निर्माण संभागों (62 भवन एवं सड़क विकास संभाग, 42 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभाग, 62 जल संसाधन संभागों), 55 वन संभागों, 63 ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभागों, अन्य राज्यों/लेखा कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक लेखाओं तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किया जाता है। कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के समक्ष प्रतिमाह मासिक सिविल लेखा प्रस्तुत किया जाता है। कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) सरकार के महत्वपूर्ण वित्तीय संकेतकों और व्यय की गुणवत्ता पर एक त्रैमासिक मूल्यांकन नोट भी प्रस्तुत करता है। प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) वार्षिक वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे भी तैयार करता है जिसे प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), छत्तीसगढ़ द्वारा लेखापरीक्षा उपरांत तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रमाणीकरण के पश्चात् राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाता है।

1.2 सरकारी लेखों की संरचना

1.2.1 सरकारी लेखे तीन भागों में तैयार किये जाते हैं

सरकारी लेखों की संरचना	
भाग–1 समेकित निधि	कर तथा गैर कर राजस्वों सहित सरकार के सभी राजस्वों, उठाये गये ऋण एवं दिये गये ऋणों की अदायगी (उन पर ब्याज सहित) समेकित निधि में जमा होते हैं। ऋणों की अदायगी तथा लिये गये ऋणों की वापसी (ब्याज सहित) सरकार के समस्त खर्चों तथा संवितरणो को इस निधि से वहन किया जाता है।
भाग–2 आकस्मिकता निधि	आकस्मिकता निधि एक अग्रदाय स्वरूप की है, जो अप्रत्याशित–व्यय (जिनका बजट में प्रावधान नही किया गया हो) की पूर्ति हेतु अग्रिम खाते के रूप में कार्य करती है। इस निधि से किये गये किसी भी व्यय के लिए विधानसभा से बाद में अनुमोदन की आवश्यकता होती है तथा निकाली गई राशि की प्रतिपूर्ति समेकित निधि से की जाती है। छत्तीसगढ़ सरकार की इस निधि हेतु कायिक राशि ₹ 100.00 करोड़ है।
भाग–3 लोक लेखे	लोक लेखे में ऋण (भाग 1 में शामिल ऋणों के अलावा), जमा, अग्रिम, प्रेषण तथा उचंत से संबंधित लेन–देन को दर्ज किया जाता है। इस भाग में ऐसे ऋण, जमा तथा अग्रिम शामिल हैं जिनके संबंध में सरकार धन वापिस देने का दायित्व लेती है या भुगतान की गई राशियों को वसूल करने का दावा कर सकती है (ऋण तथा जमा की अदायगियों और अग्रिमों की वसूली सहित)। प्रेषण तथा उचंत केवल समायोजन शीर्ष हैं जिन में कोषालयों और मुद्रा चेस्ट के बीच नकदी के प्रेषण तथा विभिन्न लेखा परिमण्डलों के बीच हस्तान्तरण को लिया जाता है। इन शीर्षों में प्रारम्भिक नामे व जमा का निपटान, बाद में उसी या किसी दूसरे परिमण्डल में सदृश प्राप्ति या अदायगी के द्वारा अथवा लेखा के अंतिम शीर्षों में बुक करके किया जाता है।

1.2.2 लेखों का संकलन

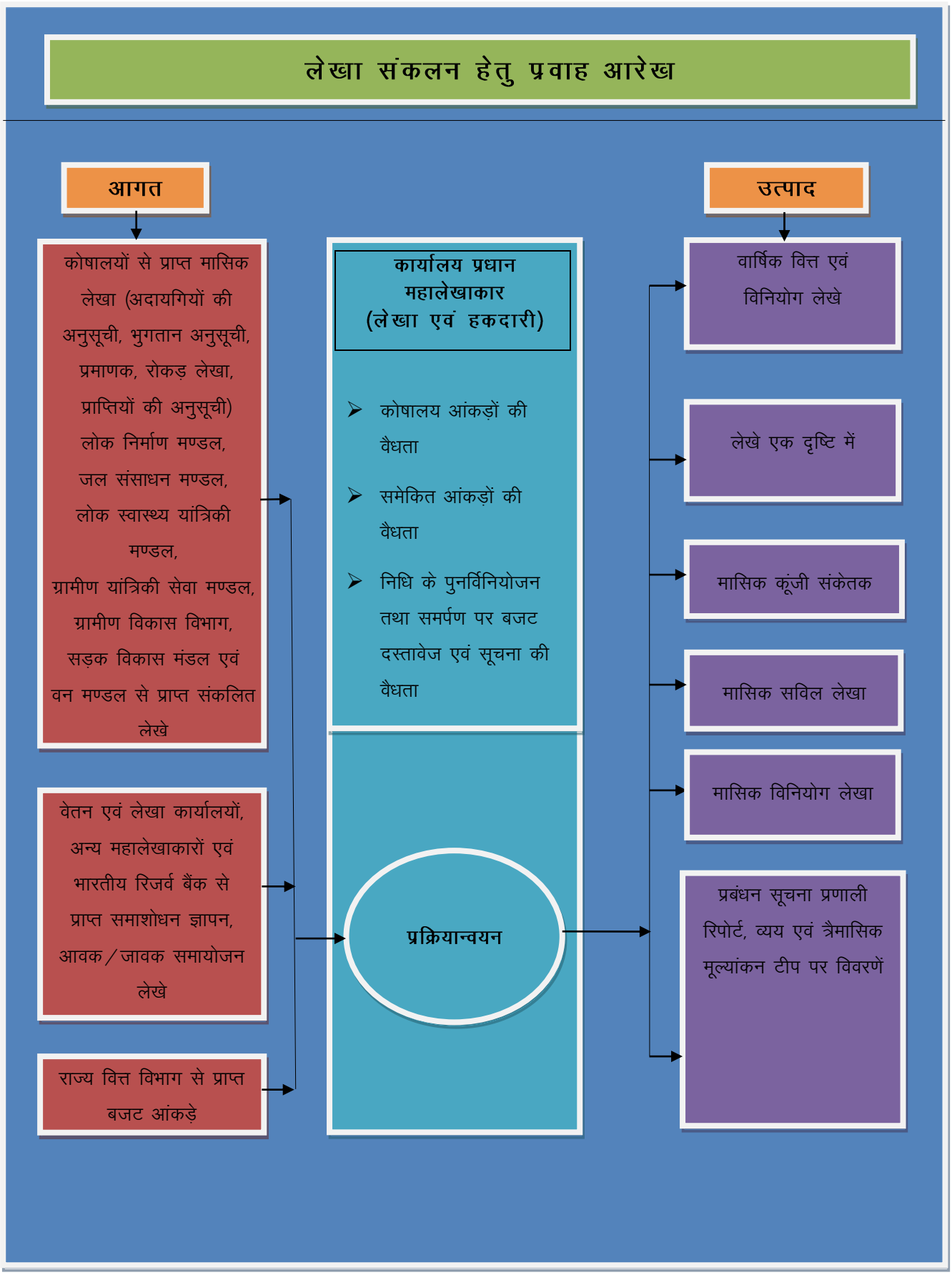
लेखा संकलन हेतु प्रवाह आरेख
आगत
कोषालयों से प्राप्त मासिक लेखा (अदायगियों की अनुसूची, भुगतान अनुसूची, प्रमाणक, रोकड़ लेखा, प्राप्तियों की अनुसूची) लोक निर्माण मण्डल, जल संसाधन मण्डल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मण्डल, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मण्डल, ग्रामीण विकास विभाग, सड़क विकास मंडल एवं वन मण्डल से प्राप्त संकलित लेखे
वेतन एवं लेखा कार्यालयों, अन्य महालेखाकारों एवं भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त समाशोधन ज्ञापन, आवक/जावक समायोजन लेखे
राज्य वित्त विभाग से प्राप्त बजट आंकड़े
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
कोषालय आंकड़ों की वैधता
समेकित आंकड़ों की वैधता
निधि के पुनर्विनियोजन तथा समर्पण पर बजट दस्तावेज एवं सूचना की वैधता
प्रक्रियान्वयन
उत्पाद
वार्षिक वित्त एवं विनियोग लेखे
लेखे एक दृष्टि में
मासिक कूंजी संकेतक
मासिक सविल लेखा
मासिक विनियोग लेखा
प्रबंधन सूचना प्रणाली रिपोर्ट, व्यय एवं त्रैमासिक मूल्यांकन टीप पर विवरणें

1.3 वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे

1.3.1 वित्त लेखे

वित्त लेखे में, लेखाओं में अभिलेखित राजस्व तथा पूंजीगत लेखाओं, लोक ऋण तथा लोक लेखा शेषों द्वारा उजागर वित्तीय परिणामों के साथ–साथ उस वर्ष में सरकार की प्राप्तियां तथा संवितरण इंगित किये जाते है। वित्त लेखे को ज्यादा व्यापक तथा सूचनात्मक बनाने के लिए, इन्हें दो खण्डों में तैयार किया गया है। वित्त लेखे के खण्ड–I में, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र, सकल प्राप्तियों तथा संवितरणों की सारांश विवरणियां एवं महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों, लेखाओं तथा अन्य मदों की गुणवत्ता को समाहित करती 'वित्त लेखाओं पर टिप्पणियां' का समावेश किया जाता है। खण्ड–II के अंतर्गत, विस्तृत विवरणियां (भाग–I) तथा परिशिष्ट (भाग–II) समावेश किए जाते हैं।

वर्ष 2024–25 के दौरान, लोक वित्त प्रबंधन संस्थान पोर्टल के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सहायता के रूप में राज्य आयोजना में ₹ 13,999.59 करोड़ हस्तांतरित किया गया, जिसमें ₹ 10,602.91 करोड़ राज्य को सीधा आबंटित किया गया, साथ ही ₹ 10,928.12 करोड़ का प्रत्यक्ष तौर पर भुगतान विभिन्न कियान्वयन अभिकरणों/अशासकीय संगठनों को किया गया जिनके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं था एवं ₹ 459.47 करोड़ राज्य में स्थित केन्द्रीय निकायों एवं साथ ही साथ अन्य विभिन्न संगठनों को आबंटित किया गया तथा जिनके लिए भी राज्य बजट में कोई व्यवस्था नहीं थी। इस प्रकार ₹ 11,387.59 करोड़ (₹ 10,928.12 करोड़ + ₹ 459.47 करोड़) को राज्य लेखे में नहीं दर्शाया गया है। ये हस्तांतरण वित्त लेखे के खंड–2 के परिशिष्ट–VI में प्रदर्शित किए गए हैं।

1.3.2 वर्ष 2024–25 की वित्तीय झलकियां

वर्ष 2024–25 के वास्तविक वित्तीय परिणाम के साथ–साथ बजट अनुमानों को निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया हैः–

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मद	बजट अनुमान 2024–25	वास्तविक आंकड़े 2024–25	वास्तविक आंकडों का प्रतिशत बजट अनुमान से	वास्तविक आंकडों का प्रतिशत स.रा.घ.उ.[1]से
1	कर राजस्व	93,700.00	88,609.16[2]	94.57	15.60
2	गैर कर राजस्व	18,700.00	17,420.52	93.16	3.07
3	सहायता अनुदान तथा अंशदान	13,500.00	14,260.67	105.63	2.51
4	**राजस्व प्राप्तियां (1+2+3)**	**1,25,900.00**	**1,20,290.35**	**95.54**	**21.18**
5	ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियां	150.00	23.62	15.75	0.00
6	उधार और अन्य दायित्व	21,450.00	25,447.40[3]	118.64	4.48
6अ	पूंजीगत प्राप्तियां	0.00	4.61[4]	–––	0.00
7	**पूंजीगत प्राप्तियां (5+6+6अ)**	**21,600.00**	**25,475.63**	**117.94**	**4.49**
8	**कुल प्राप्तियां (4+7)**	**1,47,500.00**	**1,45,765.98**	**98.82**	**25.67**
9	**राजस्व व्यय**	**1,24,840.01**	**1,25,389.82**	**100.44**	**22.08**
10	**पूंजीगत व्यय**	**22,605.62**	**20,376.17[5]**	**90.14**	**3.59**
11	**कुल व्यय (9+10)**	**1,47,445.63**	**1,45,765.98**	**98.86**	**25.67**
12	**राजस्व घाटा/आधिक्य {4–9}**	**1,059.99**	**(–)5,099.47**	**(–)581.09**	**0.90**
13	**राजकोषी घाटा {4+5+6अ–11}**	**(–)21,395.63**	**(–)25,447.40**	**(–)118.94**	**4.48**

[1] ₹ 5,67,880.43 करोड़ के स.रा.घ.उ. के आंकड़ें आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं।

[2]संघीय करों के राज्यांश की राशि ₹ 43,844.17 करोड़ तथा राज्य के स्वयं के कर राजस्व ₹ 44,764.99 करोड़ सम्मिलित हैं।

[3]उधार एवं अन्य दायित्व ₹ 26,627.40 करोड़ में निवल लोक ऋण (₹ 22,592.12 करोड़), निवल आकस्मिकता निधि (₹ –23.95 करोड़), निवल लोक लेखा (₹ 2,908.02 करोड़) एवं निवल रोकड़ शेष (₹ –28.79 करोड़) सम्मिलित है।

[4] पूंजीगत प्राप्तियों में पूंजीगत प्राप्ति का ₹ 4.81 करोड़ एवं अर्न्तराज्यीय समाशोधन का (–) ₹ 0.20 करोड़ शामिल है।

[5]पूंजीगत व्यय ₹ 20,376.17 करोड़ में निवल पूंजीगत व्यय (₹ 20,054.62 करोड़), ऋण एवं अग्रिम (₹ 321.66 करोड़) तथा अंतर्राज्यीय समाशोधन (₹ –0.11 करोड़) सम्मिलित है।

वर्ष 2024–25 के दौरान, ₹ 5,099.47 करोड़ का राजस्व घाटा (2023–24 में ₹ 11,232.76 करोड़ का घाटा) एवं ₹ 25,447.40 करोड़ का राज–कोषीय घाटा (2023–24 में ₹ 26,933.03 करोड़ का घाटा) दर्शाता है कि यह सकल राज्य घरेलू उत्पाद का क्रमशः 0.90 प्रतिशत एवं 4.48 प्रतिशत है। राजकोषीय घाटा कुल व्यय का 17.46 प्रतिशत रहा।

1.3.3 वर्ष 2023–24 में प्राप्तियां एवं संवितरण

वित्त लेखे 2024–25 में वर्णित छत्तीसगढ़ शासन के प्राप्तियों एवं संवितरण का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष 2024–25 के दौरान प्राप्तियां एवं संवितरण			
प्राप्ति (कुलः ₹1,45,765.98)	*राजस्व* (कुलः ₹ 1,20,290.35)	कर राजस्व	88,609.16
		(अ) स्वयं के कर राजस्व	44,764.99
		(ब) करों की निवल आय का हिस्सा	43,844.17
		करेत्तर राजस्व	17,420.52
		सहायता अनुदान	14,260.67
	पूंजीगत (कुलः ₹ 25,475.63)	पूंजीगत प्राप्तियां	4.81
		ऋण तथा अग्रिम की वसूलियां	23.62
		उधार एवं अन्य दायित्व(*)	25,447.40
		अन्तर्राज्यीय समाशोधन	(–)0.20
संवितरण (कुलः ₹1,45,765.98)	राजस्व		1,25,389.82
	पूंजीगत		20,054.62
	उधार और अग्रिम		321.66
	अन्तर्राज्यीय समाशोधन		(–)0.11

(*)उधार और अन्य दायित्व:–निवल लोक ऋण (प्राप्तियां–वितरण)+निवल आकस्मिकता निधि (प्राप्तियां–वितरण)+निवल लोक लेखा+निवल प्रारंभिक एवं अंत रोकड़ शेष।

1.3.4 रूपया कहाँ से आया

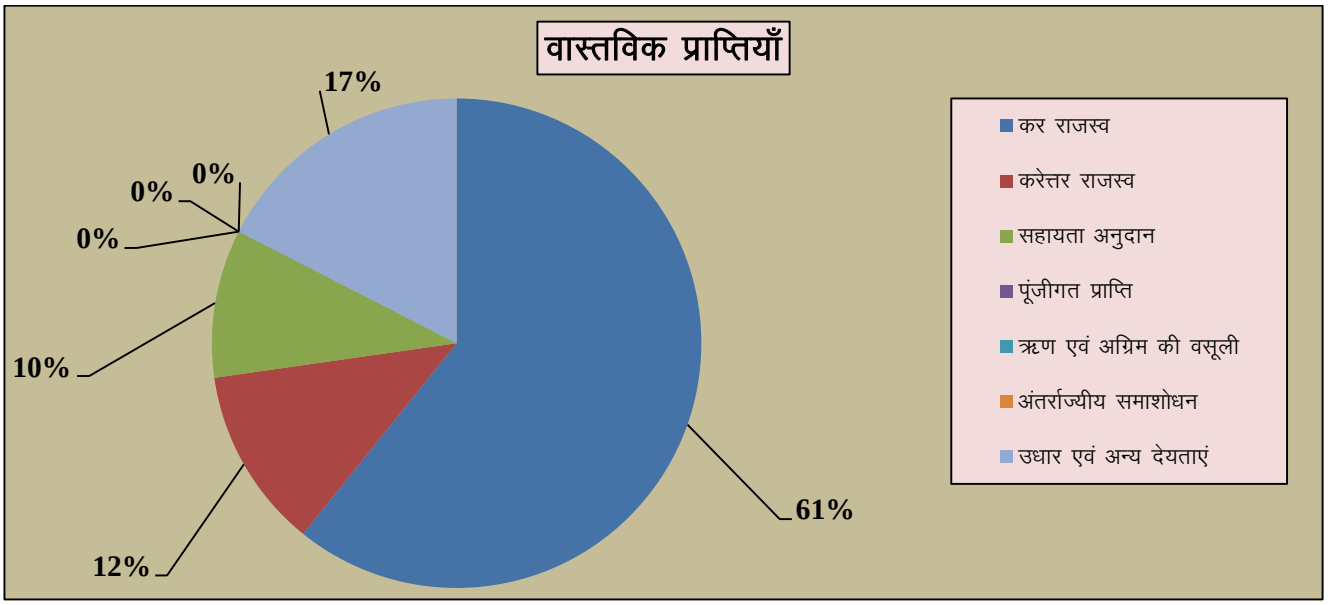

(पूंजीगत प्राप्तियां, अंतर्राज्यीय समाशोधन एवं ऋण की वसूली तथा अग्रिम की राशि नगण्य थी, इसलिए इसे शून्य दर्शाया गया है।)

1.3.5 रूपया कहाँ गया

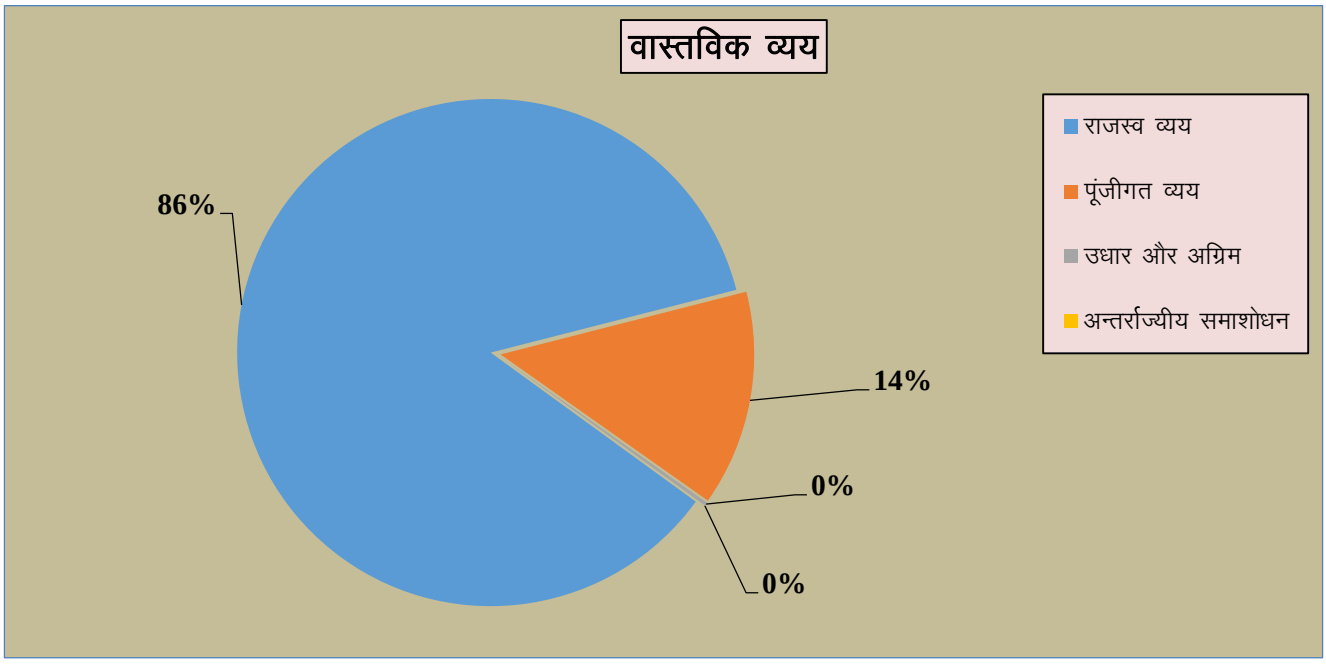

(उधार और अग्रिम तथा अंतर्राज्यीय समाशोधन की राशि नगण्य थी, इसलिए इसे शून्य दर्शाया गया है।)

1.3.6 विनियोग लेखे

संविधान के अंतर्गत यह प्रावधान है कि कोई भी व्यय विधायिका के प्राधिकरण के बिना नहीं किया जा सकता है। संविधान में वर्णित कुछ ऐसे व्ययों को छोड़कर, जिन्हें समेकित निधि को प्रभारित किया जाता है तथा जिन्हें विधायिका के वोट के बिना किया जा सकता है, बाकी अन्य सभी व्यय का 'दत्तमत' होना आवश्यक है। छत्तीसगढ़ सरकार की बजट में 45 प्रभारित विनियोजन तथा 69 दत्तमत अनुदान हैं। विनियोग लेखाओं का उद्देश्य यह दर्शाना है कि विनियोग के साथ संकलित किए गए वास्तविक व्यय को किस सीमा तक प्रतिवर्ष के विनियोग अधिनियम के माध्यम से विधायिका द्वारा प्राधिकृत किया गया है।

1.3.7 बजट तैयारी की दक्षता

वर्ष के अंत में, छत्तीसगढ़ सरकार का सकल व्यय, विधानमंडल द्वारा स्वीकृत बजट के विरूद्ध ₹ 28,759.94 करोड़ (₹ 1,88,465.26 करोड़ के बजट अनुमानों का 15.26 प्रतिशत) की निवल बचत और ₹ 693.34 करोड़ का आधिक्य (₹ 3,762.00 करोड़ के बजट अनुमानों का 18.43 प्रतिशत) दर्शाया गया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज्य विधानमंडल, परिवहन से संबंधित कुछ अनुदानों में पर्याप्त बचत प्रदर्शित हुई।

1.4 निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग

1.4.1 अर्थोपाय अग्रिम

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ बनाए रखे जाने वाले अपेक्षित न्यूनतम नकद शेषों (₹ 0.72 करोड़) में कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम लिये जाते है। वर्ष 2024–25 के दौरान, राज्य शासन ने ₹ 1,580.77 करोड़ की विशेष आहरण सुविधा का लाभ लिया एवं इस सुविधा के द्वारा रोकड़ शेष को 09 दिनों के लिए संधारित किया गया है।

1.4.2 भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ बनाये रखे जाने वाले न्यूनतम नकद शेषों (₹ 0.72 करोड़) में कमी को पूरा करने के लिये राज्य सरकार द्वारा अर्थोपाय अग्रिम लेने के बावजूद यदि कमी रहती है तो भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया जाता है। वर्ष 2024–25 के दौरान राज्य सरकार द्वारा कोई भी ओवरड्राफ्ट नहीं लिया गया।

1.4.3 निधियों के प्रवाह का विवरण

31 मार्च 2025 की स्थिति में राज्य के पास ₹ 5,099.47 करोड़ का राजस्व घाटा एवं ₹ 25,447.40 करोड़ का राजकोषीय घाटा था, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद* का 0.90 प्रतिशत एवं 4.48 प्रतिशत है। राज्य सरकार द्वारा वेतन में ₹ 30,375.58 करोड़, ब्याज भुगतान में ₹ 24,278.60 करोड़, पेंशन में ₹ 8,172.12 करोड़, आर्थिक सहायता में ₹ 16,539.20 करोड़ एवं सहायता अनुदान में ₹ 49,267.31 करोड़ व्यय किए गए हैं।

(*वर्ष 2024–25 का सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹ 5,67,880.43 करोड़ था तथा ऑकड़े आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय की वेवसाईट से लिए गए हैं।)

निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग

	विवरण	राशि *(₹ करोड में)*
स्त्रोत	01.04.2024 को प्रारंभिक नकद शेष	194.40
	राजस्व प्राप्तियां	1,20,290.35
	पूंजीगत प्राप्तियां	4.81
	कर्ज तथा अग्रिमों की वसूलियां	23.62
	लोक ऋण	33,462.79
	अल्प बचतें, भविष्य निधियां आदि	3,420.26
	आरक्षित एवं शोधन निधियां	7,736.06
	जमा प्राप्ति	2,696.31
	सिविल अग्रिम प्राप्ति	1,045.12
	उचन्त लेखे	3,26,674.01
	प्रेषण	2,816.06
	अन्तर्राज्यीय समाशोधन	(–)0.20
	आकस्मिकता निधि	(–)23.95
	योग	**4,98,339.64**
अनुप्रयोग	राजस्व व्यय	1,25,389.82
	पूंजीगत व्यय	*20,054.62
	प्रदत्त ऋण एवं अग्रिम	321.66
	लोक ऋण का पुर्नभुगतान	10,870.67
	अल्प बचतें, भविष्य निधियां आदि	1,739.81
	आरक्षित तथा शोधन निधियां	7,356.89
	जमा वापसी	2,349.35
	प्रदत्त सिविल अग्रिम	1,045.12
	उचंत लेखे एवं विविध	3,24,385.38
	प्रेषण	4,603.25
	अन्तर्राज्यीय समाशोधन	(–)0.11
	31.03.2025 को नकद अंतशेष	223.19
	योग	**4,98,339.64**

* वेतन भुगतान ₹ 62.23 करोड एवं ₹ 60.53 करोड़ कार्य–भारित/आकस्मिक स्थापना के अंतर्गत व्यय सम्मिलित है।

घाटा एवं आधिक्य क्या इंगित करते हैं?	
घाटा	राजस्व तथा व्यय के बीच के अंतर से संबंधित है। घाटे का स्वरूप, घाटा वित्त पोषन कैसे हो तथा निधियों का अनुप्रयोग वित्तीय–प्रबंधन में दूरदर्शिता के महत्वपूर्ण संकेतक हैं।
राजस्व घाटा/आधिक्य	राजस्व प्राप्तियां एवं राजस्व व्यय के बीच के अन्तर को दर्शाता है। राजस्व व्यय की आवश्यकता सरकार की वर्तमान स्थापना के रख–रखाव हेतु होती है तथा आदर्श स्वरूप राजस्व प्राप्तियों से ही इसे पूर्णतया वहन किया जाना चाहिए।
राजकोषीय घाटा/आधिक्य	सकल प्राप्तियों (उधारियों को छोड़कर) तथा सकल व्यय के बीच के अंतर को दर्शाता है। यह अंतर, इसलिए, यह इंगित करता है कि व्यय को किस हद तक उधारी द्वारा वित्तपोषित किया गया और आदर्श स्वरूप इसे पूंजीगत परियोजनाओं में निवेशित किया जाना चाहिए।

1.5 राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम, 2005

घाटा संकेतक, राजस्व संवर्धन तथा व्यय प्रबंधन सरकार की राजकोषीय कार्यशैली को जाँचने के मुख्य मापदंड हैं। छत्तीसगढ़ शासन ने राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम, 2005 को लागू किया है। इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा निर्दिष्ट अवधि में नियत राजकोषीय लक्ष्यों को प्राप्त करना था। वर्ष 2024–25 के दौरान अधिनियम तथा इसके अंतर्गत बनाये नियमों में दिए राजकोषीय लक्ष्यों पर उपलब्धियां निम्न प्रकार थीः–

क्र. सं.	वित्तीय मापदण्ड	वास्तविक (₹ करोड़ में)	जी.एस.डी.पी. का अनुपात*	
			लक्ष्य	उपलब्धि
1	राजस्व घाटा/ अधिशेष	5,099.47	अधिशेष	घाटा (अप्राप्त)
2	राजकोषीय घाटा	25,447.40	3.51 या कम	4.48 (अप्राप्त)
3	ऋण और अन्य दायित्व	1,53,211.77	18.46 या कम	26.98 (अप्राप्त)

* वर्ष 2024–25 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹ 5,67,880.43 करोड़ की जानकारी आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई है।

राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आवश्यक प्रकटीकरण विधानमंडल में प्रस्तुत किये है।

वर्ष 2024–25 में राज्य शासन का राजस्व घाटा ₹ 5,099.47 करोड़ था जो कि एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के लक्ष्यों के अनुरूप नही था। वर्ष 2023–24 में राजकोषीय घाटा ₹ 26,933.03 करोड़ था जो ₹ 1,485.63 करोड़ घटकर वर्तमान वित्त वर्ष में ₹ 25,447.40 करोड़ हो गया जो कि एफ. आर.बी.एम. अधिनियम के 3.51 प्रतिशत के लक्ष्य को पूर्ण नही करते हुए जी.एस.डी.पी. का 4.48 प्रतिशत रहा।

1.5.1 राजस्व घाटे/आधिक्य के रूझान

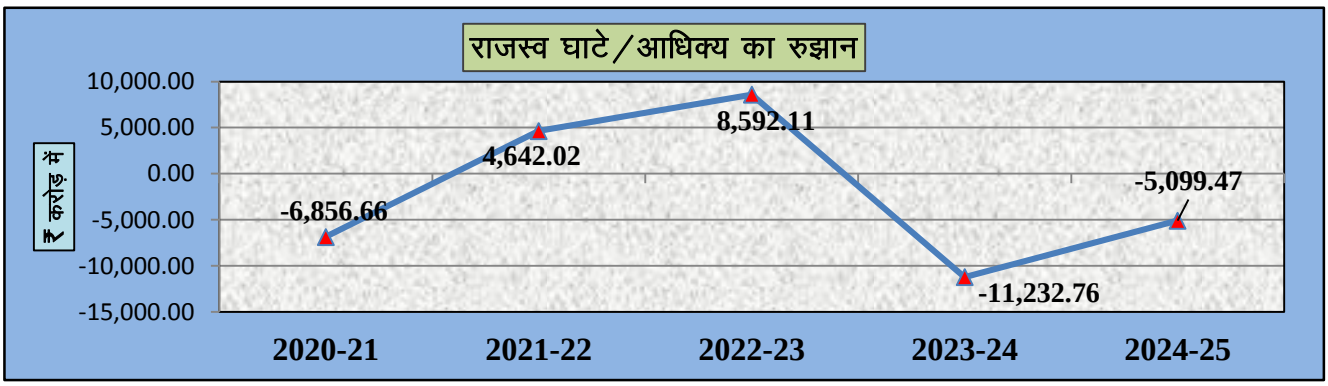

1.5.2 राजकोषीय घाटे का रुझान

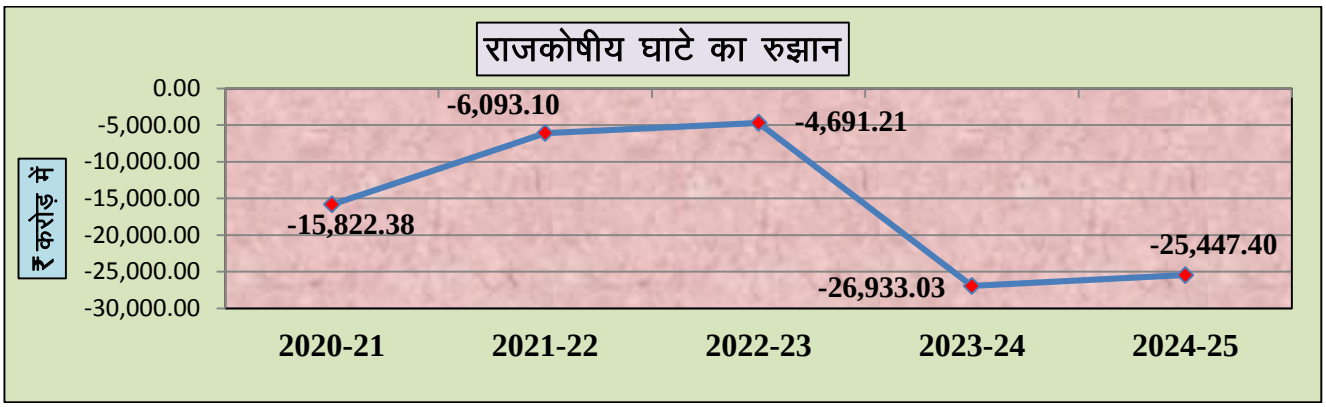

1.5.3 उधार निधि से पूंजीगत व्यय पर खर्च का अनुपात

(₹करोड़ में)

वर्ष	उधार निधि	पूंजीगत व्यय
2020–21	21,581.68	9,024.19
2021–22	15,098.28	10,504.22
2022–23	10,638.74	13,320.30
2023–24	54,049.72	15,418.93
2024–25	33,462.79	20,054.62

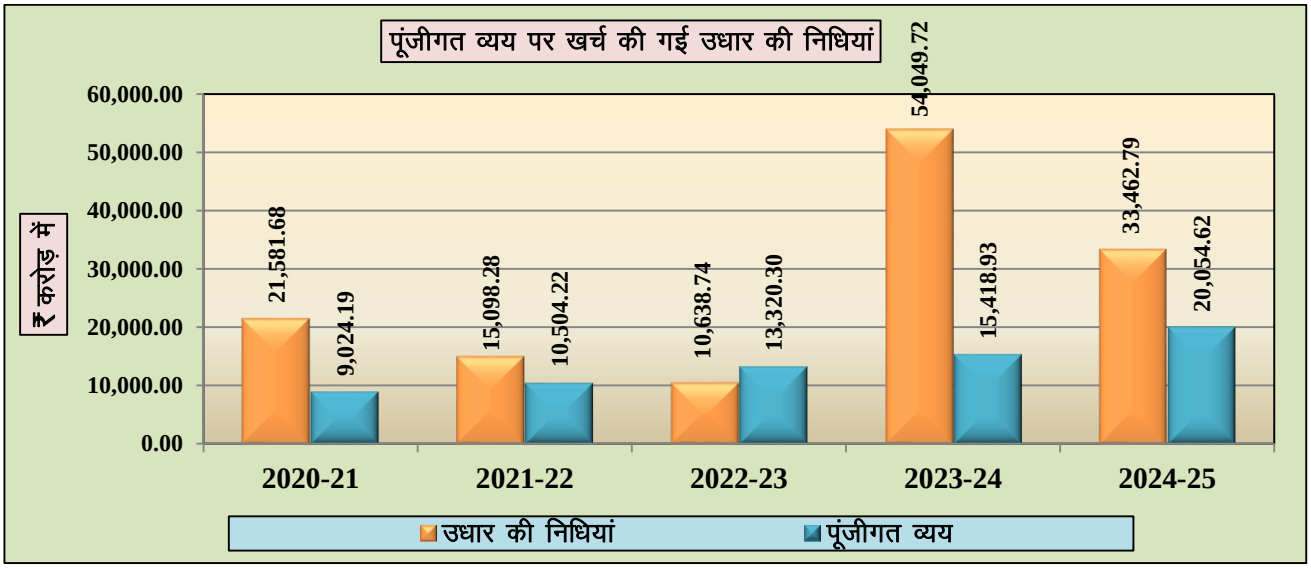

सरकार आमतौर पर राजकोषीय घाटे पर चलती है और पूंजी/परिसंपत्तियां बनाने के लिए या आर्थिक और सामाजिक अधोसंरचना के सृजन के लिए धन उधार लेती है, ताकि उधार के माध्यम से बनाई गई संपत्ति से आय प्राप्त करें जिससे ऋण का भुगतान स्वयं कर सके। इस प्रकार पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए उधार ली गई निधियों का पूरी तरह उपयोग करना और मूलधन एवं ब्याज की अदायगी के लिए राजस्व प्राप्तियों का उपयोग करना वांछित है। राज्य शासन ने वर्तमान वर्ष में ₹ 33,462.79 करोड़ के उधार की निधियों में से ₹ 20,054.62 करोड़ पूंजीगत व्यय पर खर्च किए।

प्राप्तियाँ

अध्याय 2

2.1 भूमिका

सरकार की प्राप्तियों को राजस्व प्राप्तियों एवं पूंजीगत प्राप्तियों में वर्गीकृत किया जाता है। वर्ष 2024–25 में कुल प्राप्तियां ₹ 1,45,765.98 करोड़ थी।

2.2 राजस्व प्राप्तियां

सरकार के राजस्व प्राप्तियों के मुख्यतः तीन घटक हैं:–कर राजस्व, गैर कर राजस्व तथा संघ सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान।

कर राजस्व	इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा एकत्रित तथा प्रतिधारित कर एवं संविधान के अनुच्छेद 280 (3) के अंतर्गत केन्द्रीय करों मै राज्यों का हिस्सा सम्मिलित होता है।
गैर कर–राजस्व	इसके अतंर्गत ब्याज प्राप्तियां, लाभांश, लाभ, विभागीय प्राप्तियां आदि सम्मिलित होते हैं।
सहायता अनुदान	सहायता अनुदान संघ सरकार द्वारा राज्य सरकार को दी गई केन्द्रीय–सहायता को अभिव्यक्त करते हैं। इसमें विदेश सरकार से प्राप्त तथा केन्द्र सरकार के माध्यम से सारणीबद्ध ''वैदेशिक सहायता अनुदान'' तथा सहायता, सहायता–सामग्री व उपकरण भी शामिल हैं। बदले में, राज्य सरकार विभिन्न संस्थाओं जैसे पंचायती राज संस्थानों, स्वायत्त निकायों आदि को सहायता अनुदान देती है।

2.2.1 राजस्व प्राप्तियों के घटक (2023–24)

(₹करोड़ में)

घटक	वास्तविक आंकड़े	राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत
क. कर राजस्व	**88,609.16**	**73.66**
वस्तु तथा सेवा कर	29,103.78	**24.19**
आय व व्यय पर कर	28,307.52	**23.53**
सम्पत्ति तथा पूंजीगत लेनदेनों पर कर	3,787.98	**3.15**
व्यापारिक वस्तुओं व सेवाओं पर कर	27,409.88	**22.79**
ख. गैर कर–राजस्व	**17,420.52**	**14.48**
ब्याज प्राप्तियां, लाभांश व लाभ	349.57	**0.29**
सामान्य सेवाएं	327.44	**0.27**
सामाजिक सेवाएं	405.97	**0.34**
आर्थिक सेवाएं	16,337.54	**13.58**
ग. सहायता अनुदान एवं अंशदान	**14,260.67**	**11.86**
योग–राजस्व प्राप्तियां	**1,20,290.35**	**100**

वर्ष 2024–25 के दौरान प्राप्त राजस्व प्राप्तियों में 73.66 प्रतिशत कर राजस्व और 14.48 प्रतिशत गैर कर राजस्व सम्मिलित है जबकि शेष 11.86 प्रतिशत सहायता अनुदान से प्राप्त किया गया।

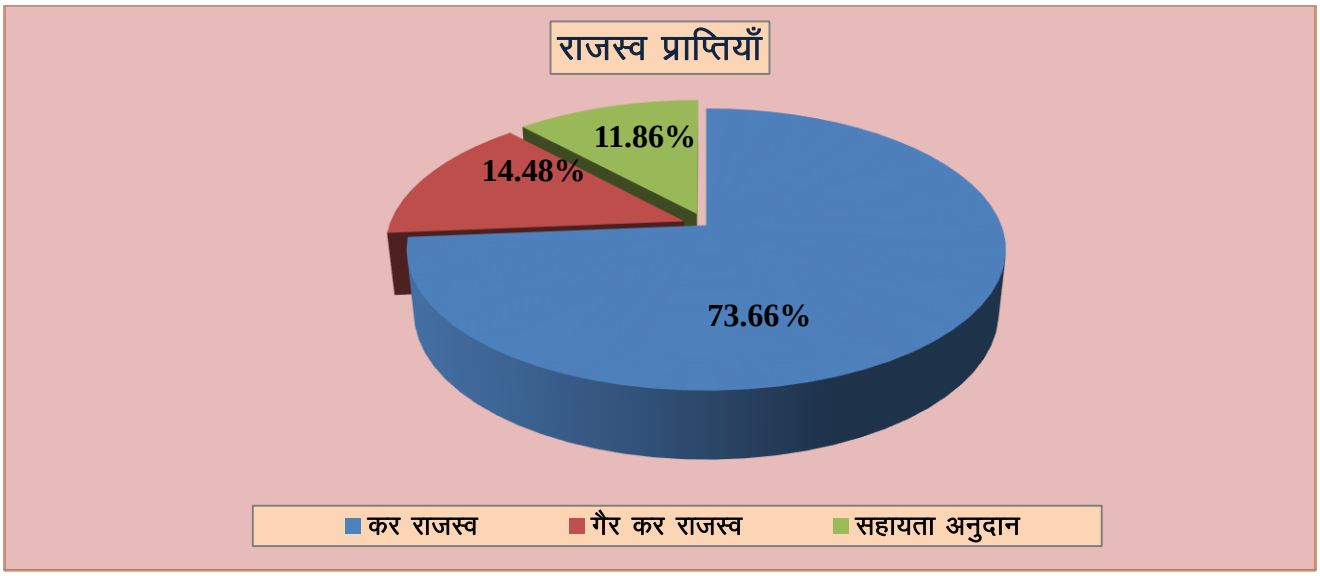

2.2.2 राजस्व प्राप्तियों का रूझान

(₹करोड़ में)

विवरण	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24	2024–25
कर राजस्व (राज्य द्वारा संग्रहित)	22,889.20 (6.53)	27,083.73 (6.77)	33,122.31 (7.24)	38,786.22 (7.67)	**44,764.99 (7.88)**
संघ के करों/शुल्कों में राज्य का हिस्सा	20,337.54 (5.81)	28,570.79 (7.14)	32,358.26 (7.07)	38,481.88 (7.61)	**43,844.17 (7.72)**
गैर कर–राजस्व	7,136.95 (2.04)	13,851.21 (3.46)	15,248.24 (3.33)	15,147.99 (2.99)	**17,420.52 (3.07)**
सहायता अनुदान	12,812.49 (3.66)	10,146.30 (2.54)	13,148.33 (2.87)	11,092.13 (2.19)	**14,260.67 (2.51)**
कुल– राजस्व प्राप्तियां	**63,176.18 (18.04)**	**79,652.03 (19.91)**	**93,877.14 (20.51)**	**1,03,508.23 (20.46)**	**1,20,290.35 (21.18)**
जी.एस.डी.पी.	**3,50,270.00**	**4,00,060.80**	**4,57,608.26**	**5,05,886.51**	**5,67,880.43**

टिप्पणीः–: लघु कोष्ठक में दिए गए आंकड़े सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता दर्शाते हैं।

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2024–25 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 12.25 प्रतिशत की वृद्धि हुई। साथ ही राजस्व प्राप्ति में 16.21 प्रतिशत एवं कर राजस्व में 14.68 प्रतिशत की वृद्धि तथा गैर कर राजस्व में 15.00 साथ ही सहायता अनुदान में 28.57 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

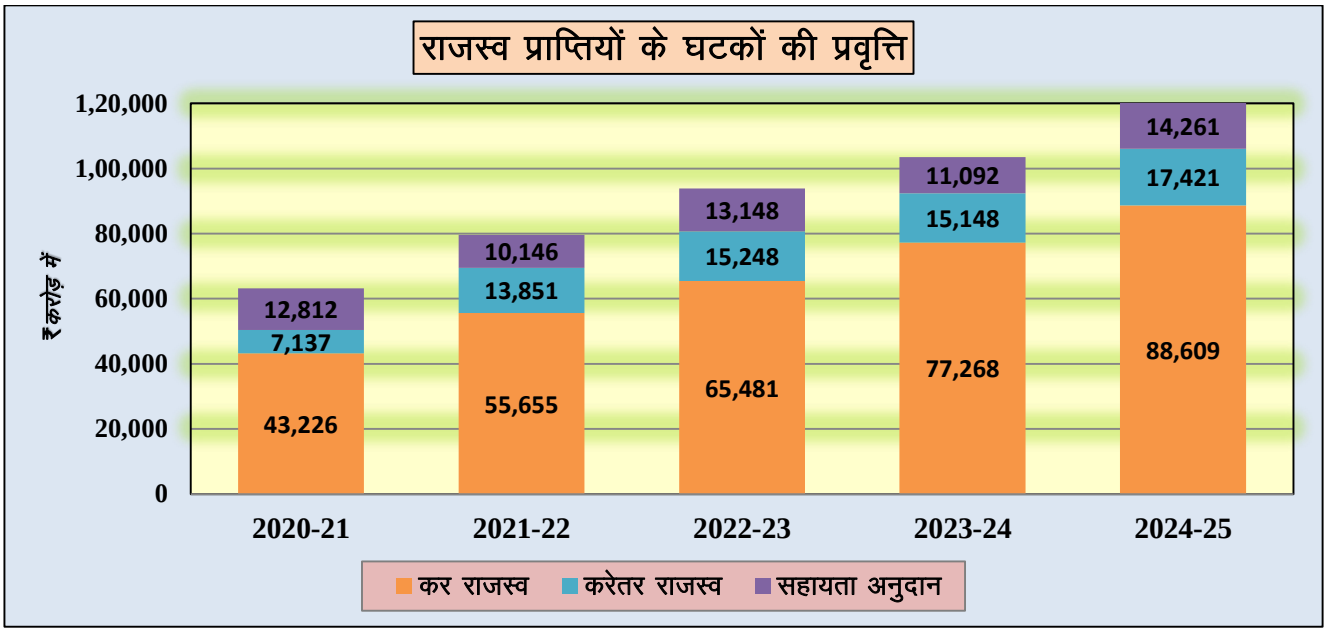

2.3 कर राजस्व

(₹ करोड़ में)

क्षेत्रवार राजस्व प्राप्तियां					
विवरण	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24	2024–25
वस्तु तथा सेवा कर	13,993.91 (4.00)	18,111.98 (4.53)	20,440.31 (4.47)	25,472.05 (5.04)	**29,103.78 (5.12)**
आय व व्यय पर कर	12,387.54 (3.54)	16,588.55 (4.15)	21,442.38 (4.69)	24,890.71 (4.92)	**28,307.52 (4.98)**
सम्पत्ति तथा पूंजीगत लेन देनों पर कर	2,522.65 (0.72)	2,896.82 (0.72)	3,097.20 (0.68)	3,341.99 (0.66)	**3,787.98 (0.67)**
व्यापारिक वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर	14,322.62 (4.09)	18,057.17 (4.51)	20,500.68 (4.48)	23,563.35 (4.66)	**27,409.88 (4.83)**
कुल–कर राजस्व	**43,226.74 (12.34)**	**55,654.52 (13.91)**	**65,480.57 (14.31)**	**77,268.10 (15.27)**	**88,609.16 (15.60)**
जी.एस.डी.पी.	**3,50,270.00**	**4,00,060.80**	**4,57,608.26**	**5,05,886.51**	**5,67,880.43**

टिप्पणी:–: लघु कोष्ठक में दिए गए आंकड़े सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता दर्शाते हैं।

वर्ष 2024–25 के दौरान, राज्य शासन का कर राजस्व 2023–24 में प्राप्त ₹ 77,268.10 करोड़ से 14.68 प्रतिशत वृद्धि होकर ₹ 88,609.16 करोड़ रहा। यह सभी क्षेत्रों में वृद्धि के कारण संभव हुआ।

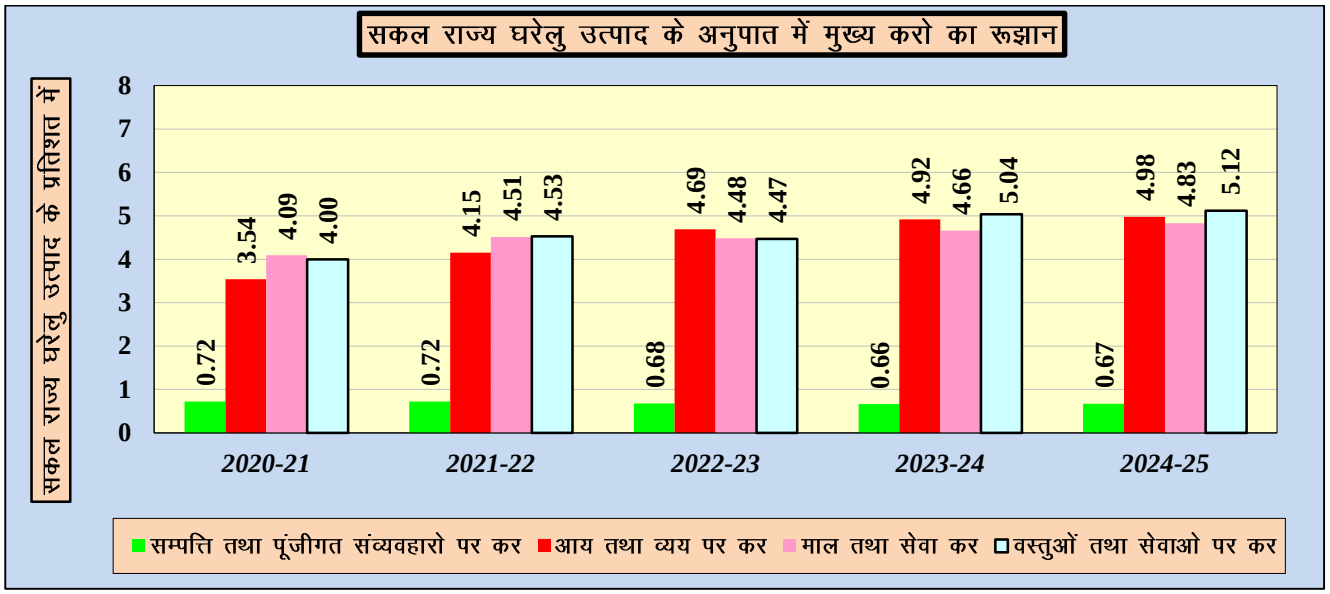

2.3.1 राज्य के स्वयं के कर एवं संघीय करों में राज्य का हिस्सा

राज्य सरकार का कर राजस्व दो स्रोतों अर्थात राज्य के स्वंय के कर संग्रह और संघ करों के अंतरण से आता है।

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कर राजस्व	संघ करों में राज्य का अंश	राज्य के स्वंय का कर राजस्व	
			कर राजस्व	सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत
2020–21	43,226.74	20,337.54	22,889.20	6.53
2021–22	55,654.52	28,570.79	27,083.73	6.77
2022–23	65,480.57	32,358.26	33,122.31	7.24
2023–24	77,268.10	38,481.88	38,786.22	7.67
2024–25	88,609.16	43,844.17	44,764.99	7.88

निम्नलिखित सारणी पांच वर्षों की अवधि में दोनों स्रोतों से प्राप्त कर राजस्व राशि की तुलनात्मक स्थिति को दर्शाती है–

(₹ करोड़ में)

विवरण	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24	2024–25
राज्य का स्वयं कर संग्रहण	22,889.20	27,083.73	33,122.31	38,786.22	**44,764.99**
संघ करों का अंतरण	20,337.54	28,570.79	32,358.26	38,481.88	**43,844.17**
कुल कर राजस्व	43,226.74	55,654.52	65,480.57	77,268.10	**88,609.16**
कुल कर राजस्व में राज्य के स्वयं के कर का प्रतिशत	**53**	**49**	**51**	**50**	**51**

2.3.2 पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्य के स्वयं के कर संग्रहण का रूझान

(₹ करोड़ में)

कर	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24	2024–25
1. बिक्री एवं व्यापार आदि पर कर	4,236.04	5,341.10	6,450.03	6,513.48	**6,880.33**
2. राज्य उत्पाद शुल्क	4,635.80	5,106.61	6,782.70	8,430.41	**10,141.84**
3. वाहनों पर कर	1,148.07	1,372.51	1,756.62	2,048.20	**2,317.99**
4. स्टांप तथा पंजीकरण शुल्क	1,584.94	1,945.36	2,228.64	2,494.18	**2,968.94**
5. विद्युत पर कर एवं शुल्क	2,341.41	2,836.05	3,676.97	4,584.76	**5,063.24**
6. भू–राजस्व	937.71	949.94	868.56	847.80	**819.04**
7. माल तथा यात्री कर	79.83	47.90	59.60	73.28	**274.58**
8. राज्य वस्तु एवं सेवा कर	7,925.01	9,483.48	11,298.14	13,793.29	**16,298.59**
9. अन्य कर	0.39	0.78	1.05	0.82	**0.44**
राज्य के स्वयं के कुल कर	**22,889.20**	**27,083.73**	**33,122.31**	**38,786.22**	**44,764.99**

2.4 कर वसूली पर लागत

(₹ करोड़ में)

कर	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24	2024–25
1. बिक्री, व्यापार आदि पर कर {(0040) एवं (2040)}					
राजस्व संग्रहण	4,236.04	5,341.10	6,450.03	6,513.48	6,880.33
संग्रहण पर व्यय	68.06	74.82	88.95	95.71	108.25
कर वसूली पर लागत(%)	1.61	1.40	1.38	1.47	1.57
2. राज्य उत्पाद शुल्क {(0039) एवं (2039)}					
राजस्व संग्रहण	4,635.80	5,106.61	6,782.70	8,430.41	10,141.84
संग्रहण पर व्यय	70.14	75.05	83.97	94.24	97.89
कर वसूली पर लागत(%)	1.51	1.47	1.24	1.12	0.97
3. वाहन पर कर {(0041) एवं (2041)}					
राजस्व संग्रहण	1,148.07	1,372.51	1,756.62	2,048.20	2,317.99
संग्रहण पर व्यय	21.66	21.89	29.66	34.75	111.78
कर वसूली पर लागत(%)	1.89	1.59	1.69	1.70	4.82
4. स्टांप तथा पंजीकरण शुल्क {(0030) एवं (2030)}					
राजस्व संग्रहण	1,584.94	1,945.36	2,228.64	2,494.18	2,968.94
संग्रहण पर व्यय	21.02	24.82	26.20	28.84	33.53
कर वसूली पर लागत(%)	1.33	1.28	1.18	1.16	1.13

पूर्व वर्ष की तुलना में वर्ष 2024–25 के दौरान ''बिक्री, व्यापार'' आदि पर करों वसूली लागत एवं ''वाहन कर'' पर कर वसूली लागत पिछले वर्ष की तुलना मे वृद्धि क्रमशः 1.47 प्रतिशत से 1.57 प्रतिशत एवं 1.70 प्रतिशत से 4.82 प्रतिशत रही, ''राज्य उत्पाद शुल्क'' तथा ''स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क'' पर कर वसूली लागत में कमी क्रमशः 1.12 प्रतिशत से 0.97 प्रतिशत एवं 1.16 प्रतिशत से 1.13 प्रतिशत रही।

2.5 संघीय करों में राज्य के अंश का पिछले पांच वर्षों का रूझान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24	2024–25
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर	6,068.90	8,628.50	9,142.17	11,678.76	12,805.19
एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निगम कर	6,117.65	7,699.82	10,851.70	11,550.56	12,441.04
निगम कर के अतिरिक्त आय पर कर	6,269.51	8,887.95	10,589.64	13,339.34	15,866.04
आय एवं व्यय पर अन्य कर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सम्पत्ति कर	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
सीमा शुल्क	1,097.20	2,017.68	1,271.87	1,348.55	2,230.61
संघ उत्पाद शुल्क	686.04	1,009.06	399.02	510.32	429.34
सेवा कर	84.52	296.68	50.61	7.18	1.41
वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	13.72	29.58	53.25	47.17	70.54
संघीय करों का राज्यांश	**20,337.54**	**28,570.79**	**32,358.26**	**38,481.88**	**43,844.17**
कुल राजस्व कर	**43,226.74**	**55,654.52**	**65,480.57**	**77,268.10**	**88,609.16**
कुल कर राजस्व में संघीय करों का प्रतिशत	47	51	49	50	49

संघीय करों में राज्यांश वर्ष 2020–21 में ₹ 20,337.54 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2024–25 में ₹ 43,844.17 करोड़ हो गया।

2.6 सहायता अनुदान

सहायता अनुदान, भारत सरकार से प्राप्त सहायता राशि को अभिव्यक्त करते हैं तथा इसमें नीति आयोग द्वारा अनुमोदित राज्य योजना, केन्द्रीय योजना तथा केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत प्रदत्त अनुदान तथा वित्त आयोग द्वारा संस्तुत किए गए राज्य अनुदान समाहित है।

वर्ष 2024–25 के दौरान सहायता अनुदान के अंतर्गत कुल प्राप्तियां ₹ 14,260.67 करोड़ थी, जो नीचे दर्शायी गयी है:–

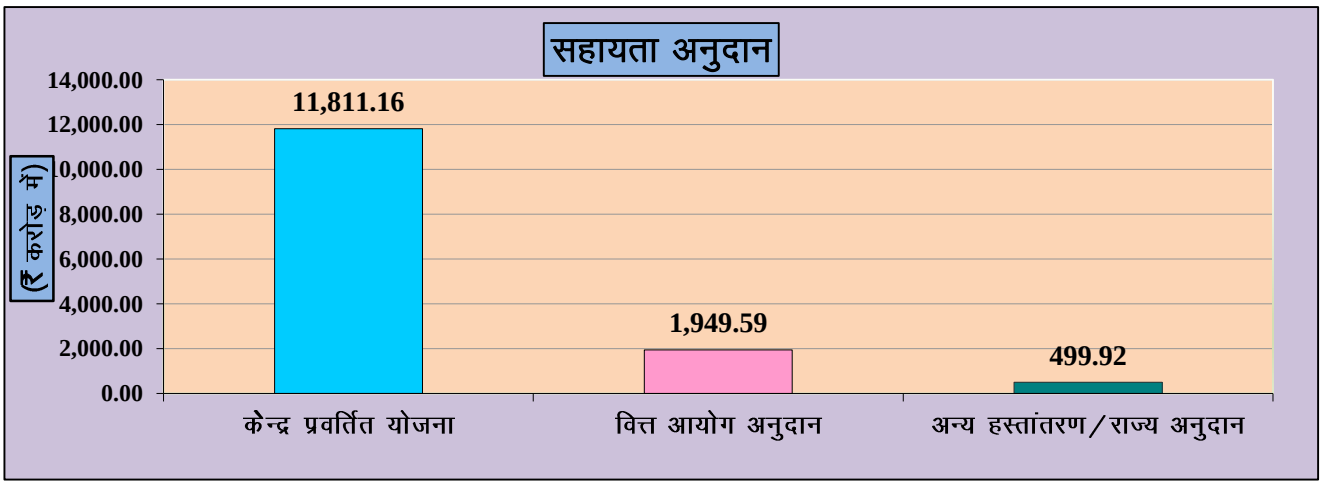

वर्ष 2018–19 से आयोजना और आयोजनेत्तर योजनाओं के बीच अंतर के समाप्त होने के कारण भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदानों को तीन श्रेणियों अर्थात ''केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान'', ''वित्त आयोग अनुदान'' और ''राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों (विधानमंडल सहित) को अन्य हस्तांतरण/अनुदान'' में प्राप्त किया जाता है। भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान वर्ष 2023–24 में ₹ 11,092.13 करोड़ से बढकर वर्ष 2024–25 में ₹ 14,260.67 करोड़ हो गया अर्थात इसमें कुल 28.57 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

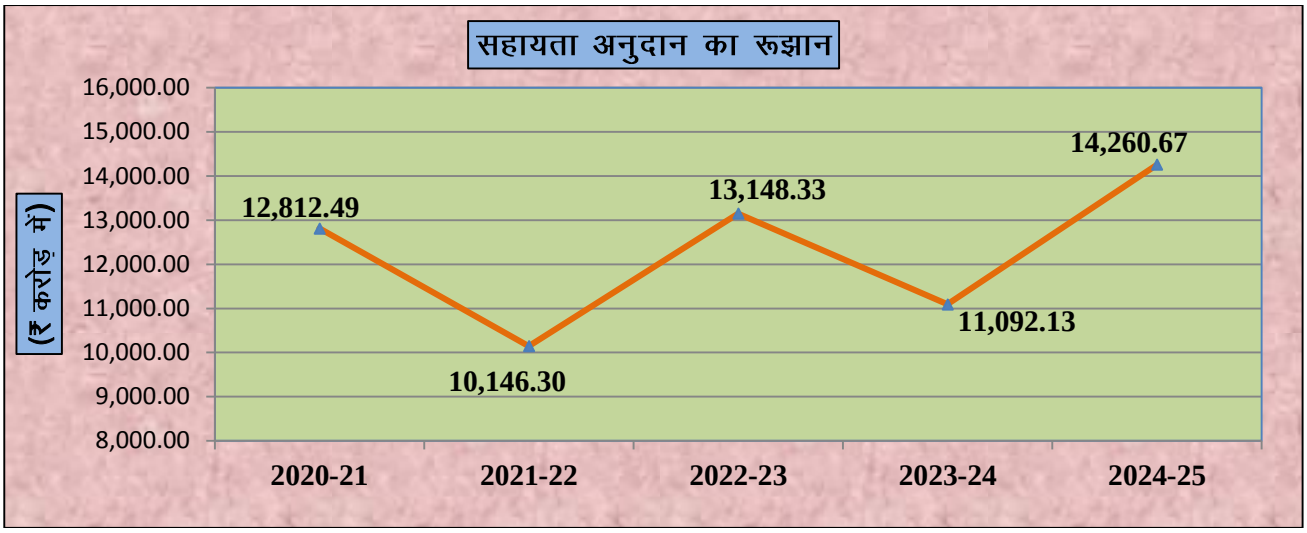

2.7 लोक ऋण

पिछले पांच वर्षों में लोक ऋण का रूझानः–

(₹ करोड़ में)

विवरण	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24	2024–25
आंतरिक ऋण	70,538.81	71,186.62	68,754.84	95,140.17	1,11,559.54
केन्द्रीय ऋण	6,169.30	11,726.15	15,195.95	18,747.38	18,953.85
योग	**76,708.11**	**82,912.77**	**83,950.79**	**1,13,887.55**	**1,30,513.39**

वर्ष 2024–25 में खुले बाजार से 6.82 प्रतिशत से 7.67 प्रतिशत की ब्याज दर पर ₹ 24,500.00 करोड़ के 21 ऋण लिए गए जो वर्ष 2026 से 2037 की अवधि में प्रतिदेय हैं। साथ ही राज्य सरकार ने नाबार्ड से ₹ 942.03 करोड, अन्य के लिए ₹ 22.96 करोड एवं ₹ 1,580.77 करोड़ विशेष आहरण सुविधा के रूप में ऋण लिया। अतः वर्ष 2024–25 में शासन द्वारा लिए गए आंतरिक ऋण में ₹ 27,045.76 करोड की वृद्धि हुई। शासन ने भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम के रूप में ₹ 6,417.03 करोड़ का ऋण भी प्राप्त किया।

2.7.1 ऋण सेवा अनुपात

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्ष के दौरान विमुक्त राशि	ब्याज भुगतान	कुल सेवा भुगतान	31.03.2025 को अंत शेष	ऋण सेवा अनुपात
6003–राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	10,626.40	7,044.34	17,670.74	1,11,559.54	15.84:100
6004–केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण तथा अग्रिम	244.27	291.57	535.84	18,953.85	2.83:100
कुल लोक ऋण	**10,870.67**	**7,335.91**	**18,206.58**	**1,30,513.39**	**13.95:100**

2.8 पिछले पांच वर्षों के दौरान निवल लोक ऋण का रूझान

नीचे दी गई सारणी पिछले वर्षों की तुलना में लोक ऋण की निवल वृद्धि को प्रदर्शित करती है जिसकी गणना पिछले वर्ष के अंतिम शेष, वर्ष के दौरान प्राप्तियां एवं पुर्नभुगतान को ध्यान में रखकर की जाती है।

(₹ करोड़ में)

मद	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24	2024–25
आंतरिक ऋण	10,156.14	696.13	(–)2,431.78	26,385.33	16,419.36
केन्द्रीय ऋण	3,405.25	5,556.85	3,469.80	3,551.43	6,172.76*
कुल लोक ऋण	**13,561.39**	**6,252.98**	**1,038.02**	**29,936.76**	**22,592.12**

* वित्त मंत्रालय के पत्र संख्या CCA/FIN/PAO(SL)/.P.details/2024-25/60, दिनांक 15.05.2025 के अनुसार, वर्ष 2024–25 के लिए केन्द्रीय ऋणों का प्रारंभिक शेष ₹ 5,966.29 करोड़ से कम हो गया है, क्योंकि राज्य को जी.एस.टी. मुआवजे की कमी के बदले ऋणों का पुनर्भुगतान किया गया है।

टीपः–1. ऋणात्मक आंकड़ें प्राप्तियों से अधिक पुनर्भुगतान किया जाना दर्शाता है।
2. शुद्ध आंकड़ें =प्राप्ति–वितरण।

2.9 उधार की निधियां तथा पूंजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	उधार निधि	पूंजीगत व्यय
2020–21	21,581.68	9,024.19
2021–22	15,098.28	10,504.22
2022–23	10,638.74	13,320.30
2023–24	54,049.72	15,418.93
2024–25	33,462.79	20,054.62

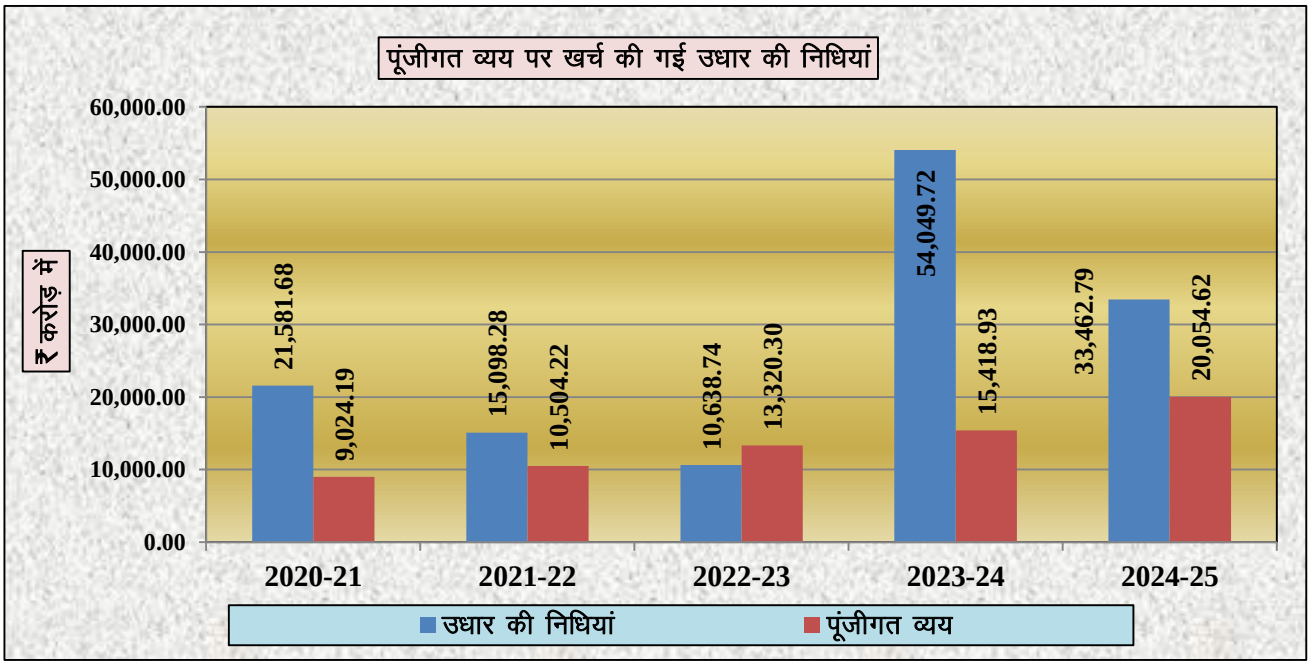

व्यय

अध्याय 3

3.1 भूमिका

व्यय को राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। राजस्व व्यय का उपयोग सरकारी तंत्र के दैनिक कार्य–संचालन के लिए किया जाता है। पूंजीगत व्यय को स्थाई परिसंपत्तियों के सृजन अथवा ऐसी परिसंपतियों की उपयोगिता में वृद्धि या स्थाई दायित्वों को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

सरकारी लेखों में व्यय को मुख्यतः तीन खण्डों में बॉटा गया है:– सामान्य सेवायें, सामाजिक सेवायें तथा आर्थिक सेवायें। इन तीन खण्डों के अंतर्गत आने वाले मुख्य क्षेत्रों में व्यय को निम्न सारणी में दर्शाया गया है।

सामान्य सेवाएं	इसमें न्याय, पुलिस, जेल, लोक निर्माण, ब्याज, पेंशन आदि सम्मिलित है।
सामाजिक सेवाएं	इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण, जलापूर्ति तथा अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण इत्यादि सम्मिलित है।
आर्थिक सेवाएं	इसमें कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई, सहकारिता, उर्जा, उद्योग, परिवहन इत्यादि सम्मिलित है।

3.2 राजस्व व्यय

छत्तीसगढ़ शासन के विगत पॉच वर्षों के बजट अनुमान के विरूद्ध वास्तविक व्यय के मध्य अन्तर का प्रतिशत निम्नानुसार है:–

(₹ करोड़ में)

विवरण	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24	2024–25
बजट अनुमान	81,399.95	83,027.55	88,371.61	1,02,500.70	1,24,840.01
वास्तविक व्यय	70,032.84	75,010.01	85,285.03	1,14,740.96	1,25,389.82
अन्तर	11,367.11	8,017.54	3,086.58	12,240.26	549.81
बजट अनुमान से वास्तविक व्यय के अन्तर का प्रतिशत	14	10	3	12	0

उपर की सारणी से स्पष्ट है कि बजट अनुमान से वास्तविक व्यय के अन्तर का प्रतिशत वर्ष 2020–21 से 2023–24 तक बढ़ने की प्रवृति दर्शा रहा, किन्तु वर्ष 2024–25 के दौरान यह समान रहा।

3.2.1 प्रतिबद्ध राजस्व व्यय

वर्ष 2024–25 के दौरान कुल राजस्व व्यय के लगभग 52 प्रतिशत वेतन एवं मजदूरी पर (₹ 31,297.10 करोड़), ब्याज अदायगी पर (₹ 9,481.61 करोड़), पेंशन पर (₹ 8,172.12 करोड़) तथा अनुदान पर (₹ 16,539.20 करोड़) खर्च किया गया जो कि राज्य सरकार की प्रतिबद्ध देयताएं हैं।

विगत पांच वर्षों के प्रतिबद्ध एवं अप्रतिबद्ध राजस्व व्यय की स्थिति का विवरण निम्नवत् है:–

(₹ करोड़ में)

घटक	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24	2024–25
कुल राजस्व व्यय	70,032.84	75,010.01	85,285.03	1,14,740.96	1,25,389.82
प्रतिबद्ध राजस्व व्यय*	42,113.16	44,314.85	48,795.15	55,743.67	65,490.03
कुल राजस्व व्यय में से प्रतिबद्ध राजस्व व्यय का प्रतिशत	60	59	57	49	52
अप्रतिबद्ध राजस्व व्यय	27,919.68	30,695.16	36,489.88	58,997.29	59,899.79

**प्रतिबद्ध राजस्व व्यय में वेतन एवं निर्माण प्रभार/आकस्मिक स्थापना, मजदूरी, ब्याज अदायगी, पेंशन एवं अनुदान का व्यय सम्मिलित हैं।*

यह देखा जा सकता है कि विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उपलब्ध अप्रतिबद्ध राजस्व व्यय वर्ष 2020–21 में ₹ 27,919.68 करोड़ से 114.54 प्रतिशत बढ़कर 2024–25 में ₹ 59,899.79 करोड़ हो गया।

कुल राजस्व व्यय वर्ष 2020–21 में ₹ 70,032.84 करोड़ से 79.01 प्रतिशत बढ़कर 2024–25 में ₹ 1,25,389.82 करोड़ हो गया तथा उसी अवधि के लिए प्रतिबद्ध राजस्व व्यय में 55.51 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

3.2.2 राजस्व व्यय का क्षेत्र–वार विवरण वर्ष 2024–25

(₹करोड़ में)

घटक	राशि	प्रतिशत
1. राज्य के अंग	**788.71**	**0.63**
2. राजकोषीय सेवाएं	**1,831.20**	**1.46**
(i) सम्पत्ति तथा पूंजीगत लेनदेन पर कर संग्रहण	1,131.45	0.90
(ii) वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर संग्रहण	699.75	0.56
(iii) अन्य राजकोषीय सेवाएं	0.00	0.00
3. ब्याज अदायगी तथा ऋण सेवाएं	**9,432.35**	**7.52**
4.प्रशासनिक सेवाएं	**7,640.77**	**6.09**
5.पेंशन तथा विविध सामान्य सेवाएं	**8,993.60**	**7.17**
6.सामाजिक सेवाएं	**51,971.40**	**41.45**
7. आर्थिक सेवाएं	**43,374.44**	**34.59**
8. सहायता अनुदान तथा अंशदान	**1,357.32**	**1.08**
कुल व्यय (राजस्व लेखा)	**1,25,389.79**	**100**

उपर की सारणी से स्पष्ट है कि राज्य शासन ने अन्य क्षेत्रों की तुलना में सामाजिक क्षेत्र एवं आर्थिक क्षेत्र को प्राथमिकता दी है तथा कुल व्यय का क्रमशः 41.45 एवं 34.59 प्रतिशत व्यय इन पर किया गया है।

3.2.3 राजस्व व्यय के मुख्य घटक

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	घटक	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24	2024–25
1.	सामान्य सेवाएं* (ऋण सेवाओं पर व्यय के अतिरिक्त)	14,803.38	16,043.94	17,185.70	27,537.58	20,611.60
2.	सामाजिक सेवाएं	25,066.17	27,963.74	31,818.05	39,411.93	51,971.40
3.	आर्थिक सेवाएं	24,255.18	24,558.09	29,499.21	47,791.44	43,374.44
4.	ऋण सेवाएं	5,908.11	6,444.24	6,782.08	7,213.34	9,432.35

*****सहायता अनुदान तथा अंशदान सम्मिलित है।

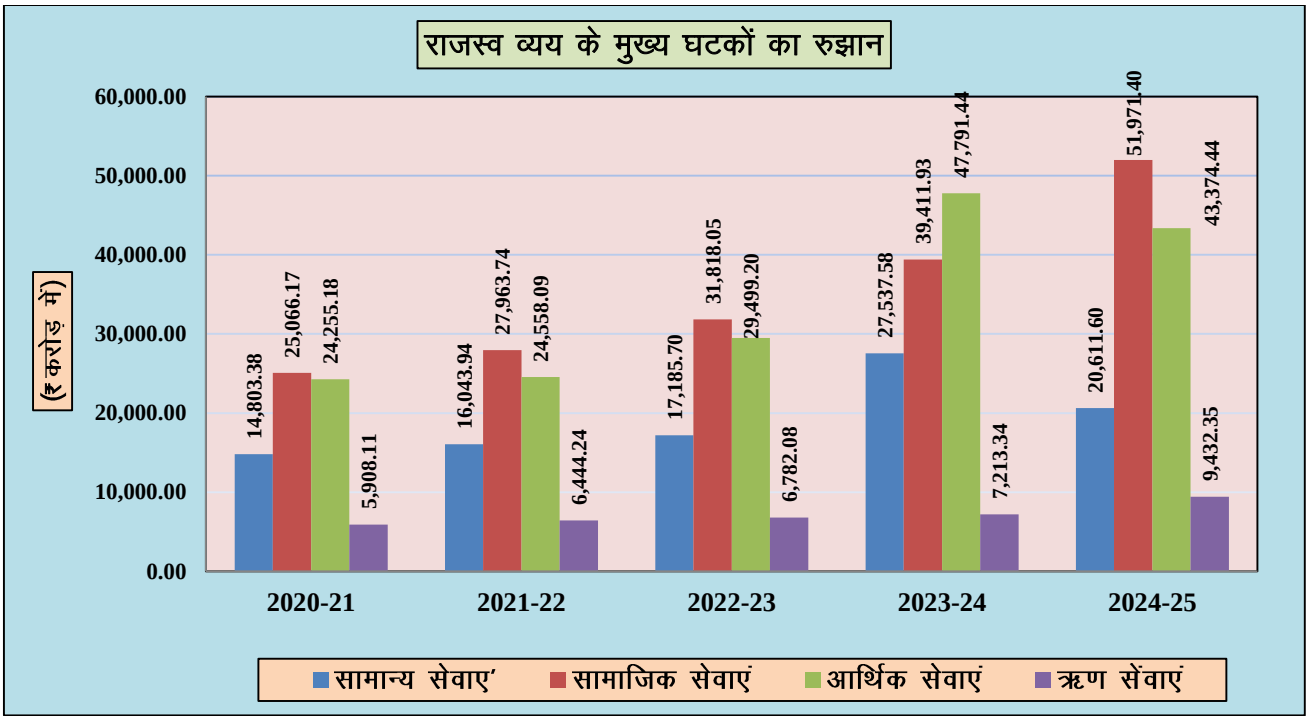

* सामान्य सेवाएं में ऋण शोधन (मु.शी. 2048) एवं ब्याज अदायगी (मू.शी. 2049) की राशि सम्मिलित नहीं है, स्थानीय निकायों को क्षतिपूर्ति एवं समानुदेशन (मु.शी. 3604) की राशि सम्मिलित की गई है।

3.3 पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय वृद्धि प्रक्रिया को लगातार बनाये रखने के लिए अत्यंत जरूरी है। वर्ष 2024–25 में ₹ 20,376.17 करोड़ (स.रा.घ.उ. का 3.59 प्रतिशत) के पूंजीगत व्यय बजट अनुमानों से ₹ 2,229.45 करोड़ कम थे। हालांकि पूजीगत व्यय वर्ष 2020–21 के पश्चात् इसमें लगातार वृद्धि पाई गई है। पूंजीगत व्यय में पिछले वर्ष के तुलना में 29.53 प्रतिशत की वृद्धि पाई गई है। इसे निम्नलिखित सारणी में देखा जा सकता है:–

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	घटक	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24	2024–25
1.	बजट अनुमान	14,249.76	14,078.90	15,628.42	18,999.55	22,605.62
2.	वास्तविक व्यय	9,074.69	10,828.28	13,406.16	15,730.89	20,376.17
3.	बजट अनुमान से वास्तविक व्यय का प्रतिशत	63.68	76.91	85.78	82.80	90.14
4.	पूंजीगत व्यय में वार्षिक वृद्धि	5.24	19.32	23.81	17.34	29.53
5	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	3,50,270.00	4,00,060.80	4,57,608.26	5,05,886.51	5,67,880.43
6	सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वार्षिक वृद्धि	6.41	14.21	14.38	10.55	12.25

3.3.1 पूंजीगत व्यय का क्षेत्र–वार विवरण

वर्ष 2024–25 के दौरान राज्य सरकार द्वारा सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण पर ₹ 2,005.38 करोड़ व्यय किया गया जिसमें वृहद सिंचाई पर ₹ 565.41 करोड़, मध्यम सिंचाई पर ₹ 105.45 करोड़, लघु सिंचाई पर ₹ 1,259.03 करोड़ एवं बाढ़ नियंत्रण पर ₹ 75.49 करोड़ व्यय किए गए। इसके अतिरिक्त शासन द्वारा सड़क एवं पुल निर्माण पर ₹ 6,288.66 करोड़ एवं जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास पर ₹ 7,103.14 करोड़ व्यय किए।

3.3.2 पिछले पांच वर्षों में पूंजीगत व्यय का क्षेत्र–वार वितरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	क्षेत्र	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24	2024–25
1	सामान्य सेवाएं	509.03 (6)	351.61 (3)	754.64 (6)	884.24 (7)	1,183.53 (6)
2	सामाजिक सेवाएं	2,934.64 (32)	3,233.74 (30)	4,988.83 (37)	7,074.24 (45)	8,421.77 (41)
3	आर्थिक सेवाएं	5,580.52 (61)	6,918.87 (64)	7,576.83 (56)	7,460.45 (47)	10,449.31 (51)
4	ऋण एवं अग्रिम	50.50 (1)	324.06 (3)	85.96 (1)	311.50 (2)	321.66 (2)
5	अंतर्राज्यीय समाशोधन	–	–	(–)0.10	(–)0.46	(–)0.11
योग		**9,074.69**	**10,828.28**	**13,406.16**	**15,730.89**	**20,376.17**

नोटः लघु कोष्ठकों के आंकड़े कुल पूंजीगत व्यय से प्रतिशत को दर्शाते हैं।

3.3.2 (अ) पूंजीगत व्यय के क्षेत्र–वार वितरण का रूझान

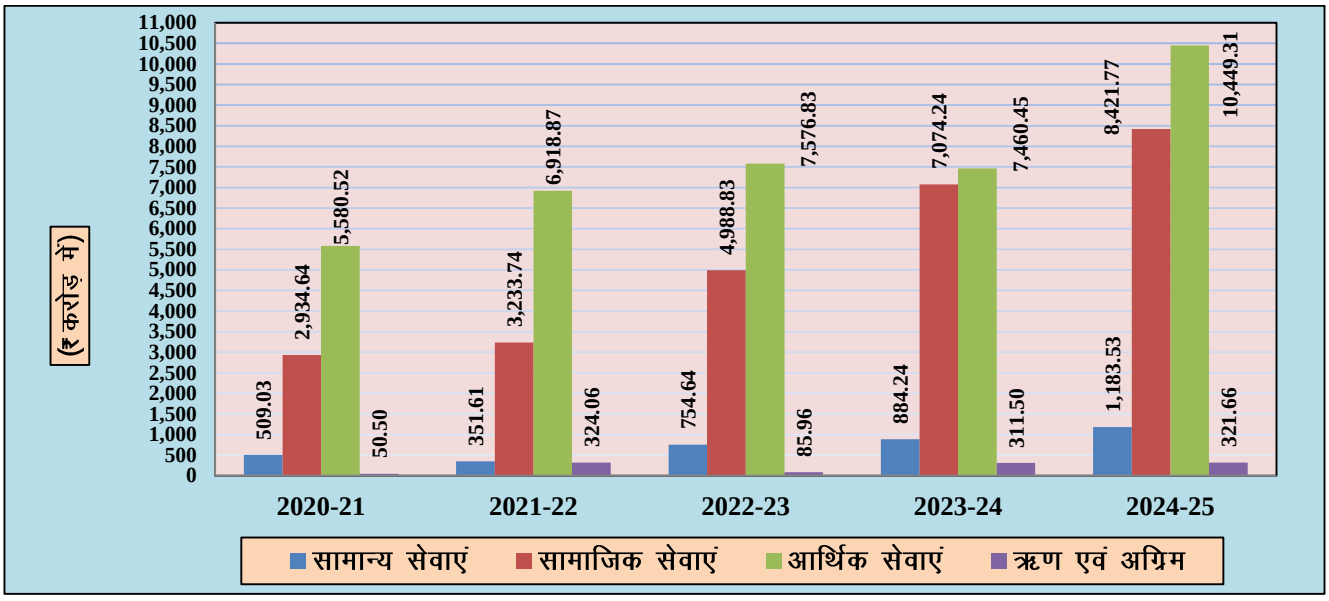

3.3.3. पूंजीगत एवं राजस्व व्यय का क्षेत्र–वार वितरण

पिछले पांच वर्षों के दौरान पूंजीगत और राजस्व व्यय का तुलनात्मक क्षेत्र–वार वितरण नीचे दर्शाया गया है–

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	अनुभाग	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24	2024–25
क.	सामान्य सेवाएं	पूंजीगत	509.03	351.61	754.64	884.24	1,183.53
		राजस्व	19,586.18	21,375.42	22,825.22	26,240.01	28,686.63
ख.	सामाजिक सेवाएं	पूंजीगत	2,934.64	3,233.74	4,988.83	7,074.24	8,421.77
		राजस्व	25,066.17	27,963.74	31,818.04	39,411.94	51,971.40
ग.	आर्थिक सेवाएं	पूंजीगत	5,580.52	6,918.87	7,576.83	7,460.45	10,449.31
		राजस्व	24,255.18	24,558.09	29,499.20	47,791.44	43,374.44
घ.	सहायता अनुदान एवं अंशदान	पूंजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		राजस्व	1,125.31	1,112.76	1,142.57	1,297.57	1,357.32
ङ.	अंतर्राज्यीय समाशोधन	पूंजीगत	–	–	(–)0.10	0.46	(–)0.11
		राजस्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3.4 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्तियों की तुलना में विगत पांच वर्षों के प्रतिबद्ध व्यय का रूझान निम्न है:–

(₹ करोड़ में)

घटक	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24	2024–25
प्रतिबद्ध व्यय	42,113.16	44,314.85	48,795.15	55,743.67	65,490.03
राजस्व व्यय	70,032.84	75,010.01	85,285.03	1,14,740.96	1,25,389.82
राजस्व प्राप्तियां	63,176.18	79,652.03	93,877.14	1,03,508.20	1,20,290.35
राजस्व प्राप्ति से प्रतिबद्ध व्यय का प्रतिशत	66.66	55.64	51.98	53.85	54.44
राजस्व व्यय से प्रतिबद्ध व्यय का प्रतिशत	60.13	59.08	57.21	48.58	52.23

वर्ष 2020–21 से 2024–25 तक प्रतिबद्ध व्यय में 55.51 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि राजस्व व्यय में उक्त अवधि के लिए 79.04 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

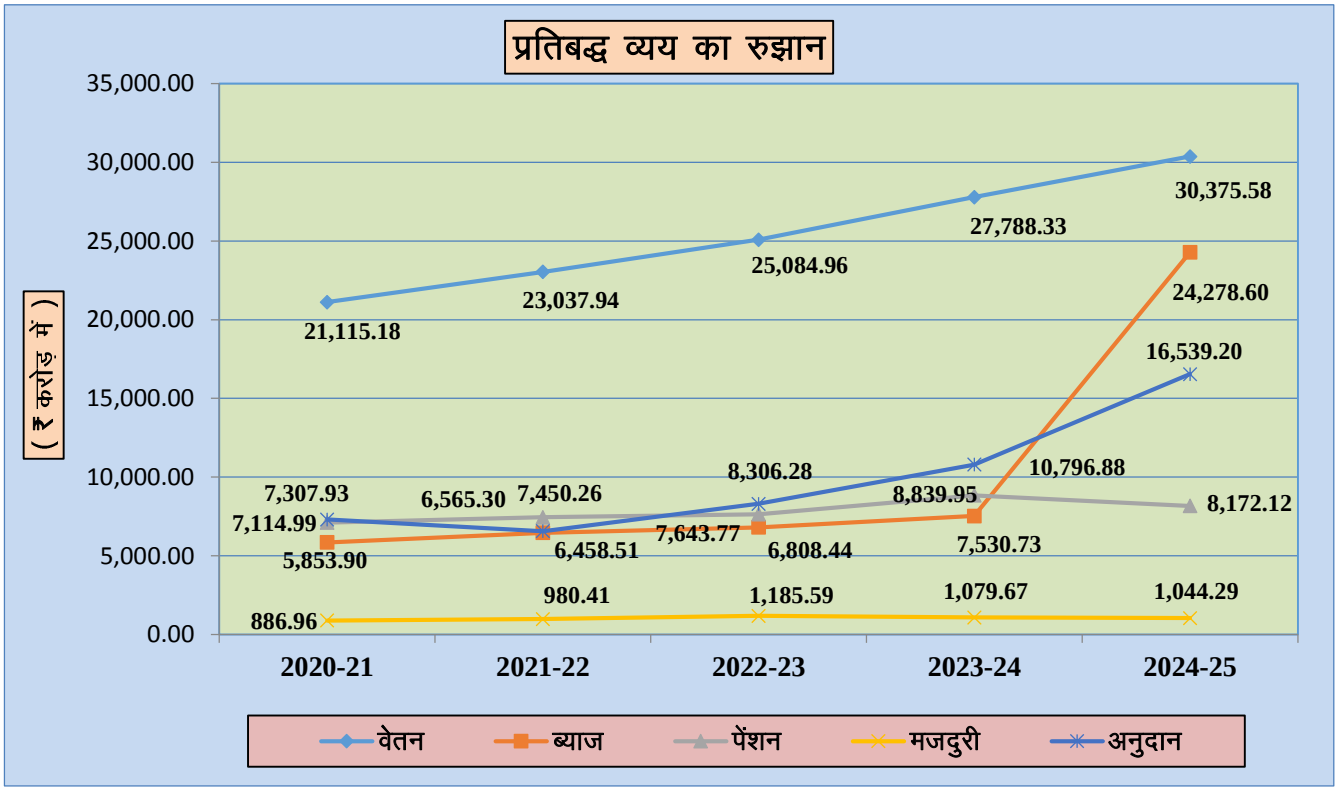

विनियोग लेखे

अध्याय 4

4.1 वर्ष 2024–25 के विनियोग लेखे का सारांश

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	व्यय का स्वरूप	मूल अनुदान / विनियोग	अनुपूरक अनुदान / विनियोग	समर्पण / पुन–र्विनियोजन	कुल बजट	वास्तविक व्यय	बचत(–) आधिक्य(+)
1	राजस्व	1,18,900.59	20,420.33	(–)20,208.76	1,39,320.92	1,17,857.74	(–)21,463.18
	प्रभारित	*8,215.07*	*1,215.93*	*(–)63.07*	*9,431.01*	*9,397.68*	*(–)33.33*
2	पूंजीगत	23,770.61	6,249.89	(–)8,397.52	30,020.50	21,245.07	(–)8,775.43
	प्रभारित	*15.76*	*11.05*	*(–)14.19*	*26.81*	*12.62*	*(–)14.19*
3	लोक ऋण *प्रभारित*	*9,360.44*	*0.00*	*(–)33.47*	*9,360.44*	*10,870.67*	*+1,510.23*
4	ऋण तथा अग्रिम	300.15	00	(–)163.59	300.15	321.66	+21.51
5	अन्तर्राज्यीय समाशोधन	5.45	0.00	0.00	5.45	(–)0.11	(–)5.55
योग	दत्तमत	**1,42,676.65**	**26,670.21**	**(–)28,606.28**	**1,69,346.86**	**1,39,102.70**	**(–)30,244.16**
	प्रभारित	***17,891.41***	***1,226.98***	***(–)274.31***	***19,118.40***	***20,602.63***	***+1,484.23***
महायोग		**1,60,568.06**	**27,897.20**	**(–)28,880.59**	**1,88,465.26**	**1,59,705.32**	**(–)28,759.94**

4.2 विगत पाँच वर्षों में बचत / आधिक्य का रूझान

(₹ करोड़ में)

बचत (–) / आधिक्य (+)						
वर्ष	राजस्व	पूंजीगत	लोक ऋण	ऋण तथा अग्रिम	अन्तर्राज्यीय समाशोधन	योग
2020–21	(–)676.46	(–)452.57	+4,026.52	0.00	(–)0.09	+2,897.40
2021–22	+741.26	+52.36	+4,216.50	0.00	(–)0.30	+5,009.82
2022–23	+1,618.27	(–)16.14	+3,705.73	+2.15	(–)0.10	+5,309.91
2023–24	+1,665.91	(–)38.07	+16,660.95	(–)7.43	(–)4.99	+18,276.37
2024–25	(–)1,224.68	(–)377.91	+1,543.70	+185.10	(–)5.55	+120.04

4.3 महत्वपूर्ण बचतें

अनुदान के तहत पर्याप्त बचत, कुछ विशेष योजनाओं/कार्यक्रमों के अक्रियान्वयन या धीमें क्रियान्वयन की ओर इंगित करती है। निरंतर तथा महत्वपूर्ण बचत वाले कुछ अनुदान निम्न प्रकार से हैं:–

(बचत प्रतिशत में)

अनुदान संख्या	नाम	दत्तमत/प्रभारित	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24	2024–25
राजस्व							
28	राज्य विधानसभा	प्रभारित	*77.44*	*66.09*	*62.76*	*77.33*	*83.32*
		दत्तमत	33.59	35.47	27.65	26.57	20.67
36	परिवहन	प्रभारित	*100.00*	*100.00*	*100.00*	*97.73*	*97.10*
		दत्तमत	48.17	42.10	35.89	36.92	22.98
64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	प्रभारित	*100.00*	*100.00*	*100.00*	*100.00*	*100.00*
		दत्तमत	18.71	18.60	11.96	13.23	13.94
67	लोक निर्माण कार्य–भवन	दत्तमत	20.83	16.11	17.49	18.20	16.63
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	प्रभारित	*100.00*	*100.00*	*100.00*	*100.00*	*100.00*
		दत्तमत	23.29	26.08	22.18	26.97	31.17
पूंजीगत							
41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	दत्तमत	33.71	30.22	19.68	35.75	38.41

राज्य विधानमंडल, परिवहन और चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत निरंतर भारी बचत विधायिका द्वारा अनुमोदित योजनाओं को कार्यान्वयन के दौरान कम प्राथमिकता देने की वजह से हुई। इसका कारण बजट अनुमान का बढ़ना या सरकार द्वारा अपने राजकोषीय घाटे को निर्धारित सीमा से कम रखना हो सकता है।

4.4 अनावश्यक सिद्ध हुए अनुपूरक अनुदान/विनियोग

वर्ष 2024–25 के दौरान, कुल ₹ 27,897.20 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान में से ₹ 2,507.57 करोड़ (कुल व्यय का 8.99 प्रतिशत) का अनुपूरक प्रावधान कुछ मामलों में अनावश्यक सिद्ध हुआ जहॉ वर्ष के अंत में मूल प्रावधान के विरूद्ध महत्वपूर्ण बचत दर्ज की गई। ऐसे मामले जहॉ इस तरह की बचत दर्ज की गई, उनसे संबंधित अनुदान संख्याओं के नाम, मूल प्रावधान, अनुपूरक अनुदान तथा वास्तविक व्यय की जानकारी निम्नलिखित सारणी में दी गई है, जो इस प्रकार है:–

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय
	राजस्व–दत्तमत			
01	सामान्य प्रशासन	422.68	33.53	340.99
03	पुलिस	7,027.07	8.11	5,882.39
04	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	110.47	13.04	88.68
07	वाणिज्यिक कर विभाग से सम्बंधित व्यय	395.95	13,46	278.96
08	भू–राजस्व तथा जिला प्रशासन	1,814.11	12.40	1,433.13
09	राजस्व विभाग से सम्बन्धित व्यय	26.29	0.00	7.49
10	वन	2,713.50	74.52	1,818.20
14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	507.52	22.15	459.28
15	अनुसूचित जाति उप योजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	203.35	2.96	131.79
16	मछली पालन	100.18	0.00	74.40
17	सहकारिता	218.27	8.72	157.22
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4,279.85	1,030.77	3,962.69
21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	260.67	2.25	213.95
23	जल संसाधन विभाग	707.81	1.00	533.92
24	लोक निमार्ण कार्य–सड़कें और पुल	1,047.54	150.80	856.92
25	खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय	710.84	2.10	47.57
26	संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय	78.18	0.71	61.41
27	स्कूल शिक्षा	7,340.47	43.24	6,587.97
28	राज्य विधान मंडल	83,51	3.05	68.67
29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	916.29	37.18	871.72
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से सम्बन्धित व्यय	7,001.98	124.55	5,302.20
31	योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय	63.83	8.67	50.72
34	समाज कल्याण	117.17	10.65	108.59
37	पर्यटन	98.19	0.00	58.96
43	खेल और युवा कल्याण	70.78	1.50	41.24
44	उच्च शिक्षा	1,037.86	0.37	879.33
47	कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग	406.73	12.04	303.71
56	ग्रामोद्योग	129.77	0.18	107.47
66	पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण	278.42	2.00	206.44
67	लोक निर्माण कार्य–भवन	848.63	10.50	716.28
71	इलेक्ट्रॅनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	184.76	1.50	88.91
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	1,485.62	0.00	1,022.56

अनुदान संख्या	नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय
80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	3,990.12	18.18	3,637.36
81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2,220.14	130.00	1,837.63
82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	425.91	9.37	340.90
	पूंजीगत–दत्तमत			
01	सामान्य प्रशासन	52.72	5.09	30.15
04	गृह विभाग से सम्बन्धित अन्य व्यय	21.20	1.88	13.06
05	जेल	3.54	31.66	0.89
06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	6.11	0.12	0.13
07	वाणिज्यिक कर विभाग से सम्बन्धित व्यय	36.09	0.15	30.69
08	भू–राजस्व तथा जिला प्रशासन	258.06	0.41	108.54
12	ऊर्जा विभाग से सम्बन्धित व्यय	626.56	0.00	315.54
13	कृषि	40.75	3.76	11.20
14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	5.50	2.95	4.51
17	सहकारिता	36.50	0.17	18.00
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	2,340.53	10.96	1,684.96
23	जल संसाधन विभाग	705.46	65.80	536.57
25	खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय	629.79	0.46	428.94
27	स्कूल शिक्षा	47.20	0.30	36.54
29	न्याय प्रशासन और निर्वाचन	9.33	3.71	2.26
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	780.19	15.00	448.80
33	आदिम जाति कल्याण	15.63	3.00	14.47
36	परिवहन	11.01	13.12	10.64
39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से सम्बन्धित व्यय	17.58	0.70	1.02
41	अनुसूचित जनजाति उपयोजना	5,314.20	163.61	3,376.27
44	उच्च शिक्षा	11.23	1.00	3.14
54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से सम्बन्धित व्यय	82.66	0.68	45.22
55	महिला एवं बाल कल्याण से सम्बन्धित व्यय	46.71	15.00	17.40
64	अनुसूचित जाति उपयोजना	1,829.41	248.24	1,329.85
65	विमानन विभाग	60.30	6.50	37.29
67	लोक निर्माण कार्य–भवन	995.78	35.92	334.08

अनुदान संख्या	नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय
68	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य–भवन	287.57	4.75	39.96
69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग–नगरीय कल्याण	539.51	40.00	218.32
75	जल संसाधन विभाग से सम्बन्धित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	353.01	0.00	246.97
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से सम्बन्धित व्यय	303.24	5.00	279.08
राजस्व–प्रभारित				
01	सामान्य प्रशासन	47.74	1.79	37.89
10	वन	4.57	0.85	1.35
29	न्याय प्रशासन और निर्वाचन	122.50	25.52	116.65
पूंजीगत–प्रभारित				
24	लोक निर्माण कार्य–सड़कें और पुल	10.50	10.00	8.73

वर्ष के अंत में कुछ मामलों जिसमें अनुपूरक प्रावधान किए जाने के बाद भी आधिक्य व्यय हुआ, जिसकी जानकारी नीचे सारणी में दी गई है:–

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	नाम	अनुभाग	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय
06	2071–पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ 01–सिविल 104–उपदान	राजस्व	1,071.72	37.03	1,247.04
08	2029–भू–राजस्व 103–भू–अभिलेख	राजस्व	500.00	0.00	562.11
24	5054–सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय 05–सड़कें 337–सड़क कार्य	पूंजीगत	250.00	0.00	484.00
41	2216–आवास 03–ग्रामीण आवास 103–आवास बोर्डों को सहायता	राजस्व	0.00	0.00	154.67
58	2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 80–सामान्य 800–अन्य व्यय	राजस्व	30.00	0.00	150.05
CH2	2049–ब्याज अदायगियां 03–अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज 104–राज्य भविष्य निधियों पर ब्याज	राजस्व	50.00	0.00	272.04

4.5 व्यय का अतिरेक

बजट नियंत्रण की प्राथमिक आवश्यकता वर्ष में व्यय का नियमित प्रवाह होना है। वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में अत्यधिक व्यय को वित्तीय नियमों का उल्लंघन माना जाता है। जबकि यह देखा गया कि निम्नलिखित मामलों में मार्च, 2025 के दौरान किया गया व्यय, वर्ष के दौरान किए गए कुल व्यय के 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के मध्य थे जो वित्तीय वर्ष के अंत में बजट प्रावधानित राशि प्रयुक्त किये जाने की प्रवृत्ति को इंगित करता है:–

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	नाम	प्रथम तिमाही	द्वितीय तिमाही	त्रितीय तिमाही	चतुर्थ तिमाही	योग	मार्च 2025 का व्यय	कुल व्यय से मार्च, 2025 का प्रतिशत
2030	स्टाम्प पंजीकरण	16.18	6.52	15.94	88.13	126.77	81.93	64.63
2048	ऋण में कमी अथवा उससे बचाव के लिए विनियोग	35.00	0.00	0.00	445.00	480.00	445.00	92.71
2245	प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	31.59	172.81	182.70	605.88	1,004.07	563.57	56.13
2250	अन्य सामाजिक सेवाएं	0.00	0.09	0.53	12.62	13.24	6.63	50.08
2425	सहकारिता	16.10	13.20	27.25	208.90	265.45	197.22	74.30
2435	अन्य कृषि कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	26.80	26.80	26.80	100.00
2852	उद्योग	3.19	200.62	28.34	449.08	681.22	433.36	63.62
3275	अन्य संचार सेवाएं	13.04	16.42	3.80	55.65	88.91	45.18	50.82
4055	पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	8.51	38.61	71.89	734.58	853.59	659.11	77.22
4210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	60.09	85.97	65.54	480.04	691.65	412.62	59.66
4215	जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	23.22	1,617.79	10.19	1,778.16	3,429.35	1,762.18	51.39
4216	आवास पर पूंजीगत परिव्यय	7.55	61.03	8.00	763.33	839.90	762.11	90.74
4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यक के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	2.50	3.79	4.17	349.00	359.46	285.56	79.44
4235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.00	12.40	50.91	63.07	42.45	67.31
4401	फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	0.23	0.16	0.00	7.34	7.73	6.59	85.25
4403	पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.00	0.03	4.92	4.95	3.83	77.37
4405	मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय	0.06	0.00	0.00	1.71	1.77	1.14	64.41
4406	वानिकी तथा अन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	1.55	1.45	9.22	12.11	6.07	50.12

मुख्य शीर्ष	नाम	प्रथम तिमाही	द्वितीय तिमाही	त्रितीय तिमाही	चतुर्थ तिमाही	योग	मार्च 2025 का व्यय	कुल व्यय से मार्च, 2025 का प्रतिशत
4408	खाद्य, भंडारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.00	0.00	0.96	0.96	0.86	89.58
4810	नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.00	117.00	125.20	242.20	125.20	51.69
4851	ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	0.02	132.97	10.44	368.78	512.33	356.72	69.63
5054	सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	1,006.57	603.32	966.87	4,016.03	6,592.79	3,328.48	50.49
5055	सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	1.36	0.00	0.20	9.08	10.64	8.54	80.26
5275	अन्य संचार सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.00	0.00	9.56	9.56	9.56	100.00

परिसम्पत्तियां तथा दायित्व

अध्याय 5

5.1 परिसम्पत्तियां

लेखाओं का वर्तमान स्वरूप में भूमि, भवन आदि जैसी सरकारी परिसम्पतियों के मूल्यांकन को अधिग्रहण/खरीद के वर्ष को छोड़कर, स्पष्ट रूप से नहीं दर्शाता है। इसी प्रकार, जहॉ लेखे केवल चालू वर्ष के देनदारियों के प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं, वहीं वे भावी पीढ़ीयों पर पड़ने वाले दायित्वों के समग्र प्रभाव को चित्रित नहीं करते हैं।

वर्ष 2024–25 के अन्त में वैधानिक निगमों, शासकीय कंपनियों, बैंकों, सहकारी संस्थाओं, स्थानीय एवं संयुक्त स्टाक उपक्रमों में अंश पूंजी के रूप में कुल निवेश ₹ 7,717.68 करोड़ रहा। जबकि वर्ष के दौरान निवेश पर कुल लाभांश ₹ 1.49 करोड़ (0.02 प्रतिशत) प्राप्त किया गया। वर्ष 2024–25 के अंत तक निवेश में ₹ 184.07 करोड़ की वृद्धि हुई तथा लाभांश आय में ₹ 2.35 करोड़ की कमी हुई।

01 अप्रैल 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी शेष ₹ 194.40 करोड़ था, जो 31 मार्च 2025 के अन्त में ₹ 223.19 करोड़ हो गया। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2024–25 के दौरान शासन ने 14 दिनों के खजाना बिलों में 167 अवसरों पर ₹ 1,90,158.13 करोड़, 91 दिनों के खजाना बिलों में 07 अवसरों पर ₹ 4,920.92 करोड़ एवं 182 दिनों के खजाना बिलों में भी 07 अवसरों पर ₹ 3,867.39 करोड़ निवेश किया। वर्ष के दौरान पुर्नरियायती राशि 189 अवसरों पर ₹ 79,767.24 करोड़ थी और 96 अवसरों पर परिपक्वता राशि ₹ 1,21,381.91 करोड़ थी। वर्ष 2024–25 के दौरान निवेश की स्थिति का विवरण निम्नलिखित सारणी में वर्णित है:–

(₹ करोड़ में)

भारत सरकार के खजाना बिलों में नकदी शेष का निवेश			
1 अप्रैल 2024 को शेष	2024–25 के दौरान खरीद	2024–25 के दौरान विक्रय	31 मार्च 2025 को अंतिम शेष
5,933.48	1,98,946.44	2,01,149.15	3,730.77

5.2 ऋण तथा देनदारियां

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 293 राज्य सरकारों को समेकित निधि की अभिरक्षा पर एक सीमा के भीतर उधार लेने की शक्तियां प्रदान करता है। जो कि राज्य विधानमंडल द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाती है।

राज्य शासन के लोक ऋण तथा कुल दायित्वों का विगत पॉच वर्षों का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है:–

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लोक ऋण	स.रा.घ.उ. से प्रतिशत	लोक लेखा	स.रा.घ.उ. से प्रतिशत	कुल देयताएं	स.रा.घ.उ. से प्रतिशत
2020–21	76,659.79	21.89	16,006.11	4.57	92,665.90	26.46
2021–22	82,912.77	20.73	16,260.12	4.06	99,172.89	24.79
2022–23	83,950.79	18.35	17,745.64	3.89	1,01,696.43	22.22
2023–24	1,07,921.27*	19.00	20,291.81	4.01	1,28,213.07	22.58
2024–25	1,30,513.39	22.98	22,698.38	4.00	1,53,211.77	26.98

आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ₹ 5,67,880.43 करोड़ का जी.एस.डी.पी. ऑकड़ा उपलब्ध कराया गया।

* वित्त मंत्रालय के पत्र क्रमांक सीसीए/एफ.आई.एन./पी.ए.ओ. (एस.एल)/आर.पी. विवरण/2024–25/60 दिनांक 15.05.2025 के अनुसार (जी.एस.टी.) क्षतिपूर्ति की कमी के एवज में राज्यों को ऋण चुकाने के कारण ₹ 5,966.29 करोड़ (2023–24 के ₹ 3,693.56 करोड़ एवं 2024–25 में ₹ 2,272.73 करोड़) की कमी हुई।

वर्ष 2023–24 की तुलना में वर्ष 2024–25 में कुल देनदारियों में ₹ 24,998.70 करोड़ (19.50 प्रतिशत) की निवल वृद्धि हुई हैं।

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लोक ऋण		लोक लेखा	
	आंतरिक ऋण	केन्द्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम	लघु बचत	अन्य दायित्व
2020–21	70,490	6,169	8,021	7,985
2021–22	71,187	11,726	8,020	8,240
2022–23	68,755	15,196	9,327	8,419
2023–24	95,140	12,781	10,849	9,443
2024–25	1,11,560	18,954	12,529	10,169

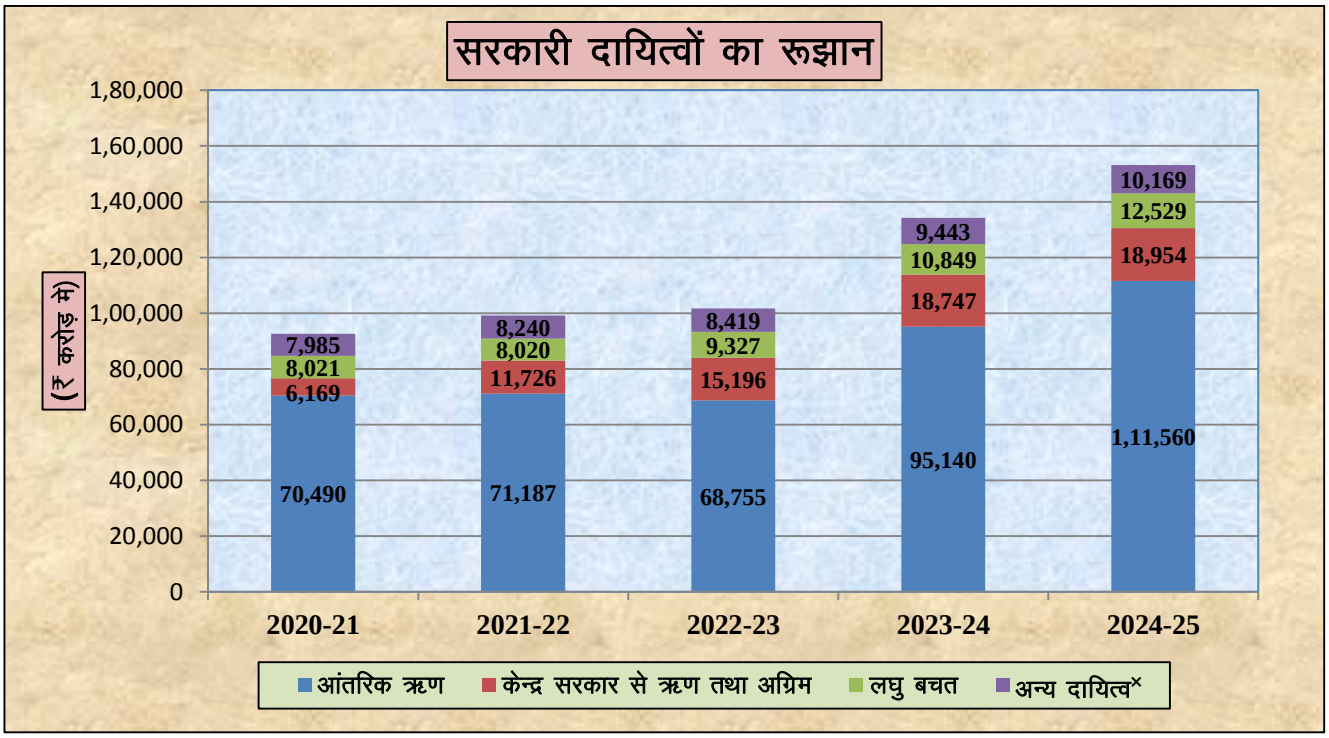

* आरक्षित निधि एवं जमा में अन्य दायित्व सम्मिलित हैं।

5.3 प्रतिभूतियां

राज्य सरकारें प्रत्यक्ष रूप से ऋण उठाये जाने के अतिरिक्त विभिन्न योजनाओं तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु संवैधानिक निगमों, सरकारी कंपनियों तथा निगमों, सहकारी समितियों आदि द्वारा बाजार तथा वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों की भी प्रतिभूति देती है। संवैधानिक निगमों, सरकारी कंपनियों तथा निगमों, सहकारी समितियों आदि द्वारा लिए गए ऋणों, पूंजी तथा उस पर ब्याज के भुगतान की अदायगी के लिए राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटियां, उनके न चुका पाने की स्थिति में राज्य सरकार की समेकित निधि पर उत्तरदायित्व है। इन प्रतिभूतियों को राज्य बजट से बाहर प्रक्षेपित किया जाता है। संवैधानिक निगमों, सरकारी कंपनियों तथा निगमों, सहकारी समितियों आदि द्वारा लिए गए ऋणों (मूल राशि तथा उस पर ब्याज की अदायगी) की वापसी हेतु राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रतिभूतियों की स्थिति नीचे सारणी में दी गई है।

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रतिभूति की अधिकतम राशि (केवल मूलधन)	वर्ष के अंत में बकाया राशि	
		मूलधन	ब्याज
2020–21	26,694.79	19,836.13	लागू नहीं
2021–22	29,947.50	19,523.54	लागू नहीं
2022–23	30,022.50	20,957.51	लागू नहीं
2023–24	29,995.88	20,392.03	लागू नहीं
2024–25	23,402.24	20,763.08	4.62

उपरोक्तानुसार यह देखा जा सकता है कि प्रतिभूति राशि में वर्ष 2024–25 में पर्याप्त रूप से कमी हुई है। वित्त लेखे के विवरण संख्या–20 पर इसका विवरण उपलब्ध है।

5.4 सेवानिवृत्ति हितलाभों का दायित्व

दिनांक 01.11.2004 को या उसके पश्चात नियुक्ति किये गये राज्य शासन के कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन.पी.एस.) के अन्तर्गत है, जो एक परिभाषित अंशदान पेंशन योजना है। इस योजना के अन्तर्गत, कर्मचारी को अपने मासिक वेतन का 10 *प्रतिशत* तथा राज्य शासन को 14 *प्रतिशत* की दर से अंशदान देना होता है। संपूर्ण राशि राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.)/ट्रस्टी बैंक के माध्यम से नामित निधि प्रबंधक को स्थानांतरित किया जाना है।

छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने पत्र क्रमांक 282 दिनांक 11.05.2022 के माध्यम से 01.11.2004 से पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) में प्रत्यावर्तन अधिसूचित किया है। एन.पी.एस. के अन्तर्गत आने वाले कुल कर्मचारियों में से 2,90,598 कर्मचारियों ने ओ.पी.एस. एवं 10,349 ने नई पेंशन योजना (एनपीएस) का विकल्प चुना है।

वर्ष 2024–25 के दौरान राष्ट्रीय पेंशन योजना में कुल अंशदान ₹ 63.18 करोड़ था (कर्मचारी अंशदान ₹ 25.54 करोड़, शासकीय अंशदान ₹ 35.25 करोड़, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कर्मचारी तथा नियोक्ता अंशदान ₹ 2.39 करोड़)। शासकीय अंशदान की विस्तृत जानकारी वित्त लेखे के विवरण क्रमांक 15 में मुख्यशीर्ष 2071 के अन्तर्गत उपलब्ध है। ₹ 0.62 करोड़ की शासकीय अंशदान, मुख्यशीर्ष 2071 से प्रत्यक्ष रूप से एनएसडीएल को स्थानांतरित की गयी तथा ₹ 34.63 करोड़ मुख्यशीर्ष 8342–117 में स्थानांतरित की गयी। कर्मचारी अंशदान, शासकीय अंशदान तथा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कर्मचारी तथा नियोक्ता अंशदान कुल राशि ₹ 62.56 करोड़ में से ₹ 61.71 करोड़ मुख्यशीर्ष 8342–117 से ट्रस्टी बैंक को स्थानांतरित की गयी। इस प्रकार, राज्य शासन का रोकड़ शेष में ₹ 0.85 करोड़ का अधिकता दर्शाया गया है।

अन्य मदें

अध्याय 6

6.1 प्रतिकूल शेष

प्रतिकूल शेष वह स्थिति है, जब वित्तीय वर्ष के अंत में लेखा शीर्ष पर शेष राशि ऋणात्मक शेष दर्शाती है, देयता शीर्षो के अन्तर्गत नामे/(–)जमा शेष या उन शीर्षो का प्रतिनिधित्व करता है जहॉ सामान्य रूप से जमा शेष होना चाहिए तथा संपत्ति शीर्षो के अन्तर्गत जमा/(–)नामे शेष या उन शीर्षो का प्रतिनिधित्व करता है जहॉ सामान्य रूप से नामे शेष होना चाहिए। लेखा शीर्ष में प्रतिकूल शेष त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण, धन की उपलब्धता से अधिक संवितरण, प्राप्त अंशदान से अधिक संवितरण, एक लेखा इकाई से दूसरी में शेष राशि को आगे न ले जाने, प्रशासनिक पुनर्गठन के कारण राज्यों/अधिक लेखा इकाईयों का निर्माण इत्यादि के कारण उत्पन्न होता है। दिनांक 31.03.2025 तक प्रतिकूल शेष निम्नांकित दिये गये विवरण के अनुसार 10 शीर्षों में दर्शाये गये है –

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष का विवरण	ऋणात्मक शेष
4202–01–797	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	0.12 (जमा)
4408–01–101	खाद्य, भंडारण तथा भांडागार पर पूंजीगत व्यय	0.39 (जमा)
4408–02–190	खाद्य, भंडारण तथा भांडागार पर पूंजीगत व्यय	0.12 (जमा)
4425–107	सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	0.04 (जमा)
4425–108	सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	0.06 (जमा)
4425–108	सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	0.15 (जमा)
4425–200	सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	0.15 (जमा)
4801–01–052	बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.03 (जमा)
5054–80–797	सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.03 (जमा)
5055–800	सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	0.08 (जमा)
6425–107	सहकारिता के लिए कर्ज–छत्तीसगढ़ सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा जारी किया गया ऋणपत्र	1.09 (जमा)
6425–107	सहकारिता के लिए कर्ज–एकीकृत आदिवासी विकास कार्यक्रम जगदलपुर	0.01 (जमा)
8223–102	अकाल राहत निधि (निवेश लेखा)	5.05 (जमा)
8342–120	विविध जमा	27.41 (नामे)
6004–02–101	केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम– राष्ट्रीय जल विद्युत परियोजना फेज–II	4.40 (नामे)
6004–02–101	केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम– ब्लाक ऋण के अन्तर्गत अन्य योजनाएं	19.58 (नामे)

6.2 राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2024–25 के अंत तक ₹ 1,949.08 करोड़ के कुल ऋण एवं अग्रिम दिए गए हैं जो कि सरकारी निगमों, कंपनियों, सहकारी समितियों, गैर सरकारी संस्थाओं, स्थानीय निकायों हेतु ऋण एवं अग्रिम से संबंधित थे। मार्च 2025 के अंत तक ₹ 703.75 करोड़ के मूल एवं ₹ 290.46 करोड़ के ब्याज की वसूली बकाया है।

6.3 स्थानीय निकायों एवं अन्य को वित्तीय सहायता

स्थानीय निकायों, स्वायत्त निकायों इत्यादि को दिए गए सहायता अनुदान वर्ष 2023–24 में ₹ 53,163.50 करोड़ से घटकर वर्ष 2024–25 में ₹ 49,276.00 करोड़ हो गया है। पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों को प्रदत्त अनुदान (₹ 13,890.75 करोड़) वर्ष के दौरान दिये गये कुल अनुदान का 28.19 प्रतिशत है।

विगत पाँच वर्षों के सहायक अनुदान का विवरण निम्नानुसार है:–

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संस्थाओं के नाम	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24	2024–25
1	पंचायती राज संस्थाएं	4,421.79	4,345.60	5,903.98	9,470.53	11,082.90
2	शहरी स्थानीय निकाय	3,554.17	3,904.13	4,296.67	4,412.18	2,807.85
3	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	1,846.69	2,252.46	2,669.45	1,582.15	987.66
4	स्वायत्त संस्थान	586.27	753.78	1,056.19	1,654.87	1,239.05
5	अन्य संस्थान एवं एन.जी. ओ. (क्रम संख्या 01 से 04 में शामिल नही)	12,404.00	13,134.96	15,861.62	36,043.77	33,158.04
	योग	**22,812.92**	**24,390.93**	**29,787.91**	**53,163.50**	**49,276.00**

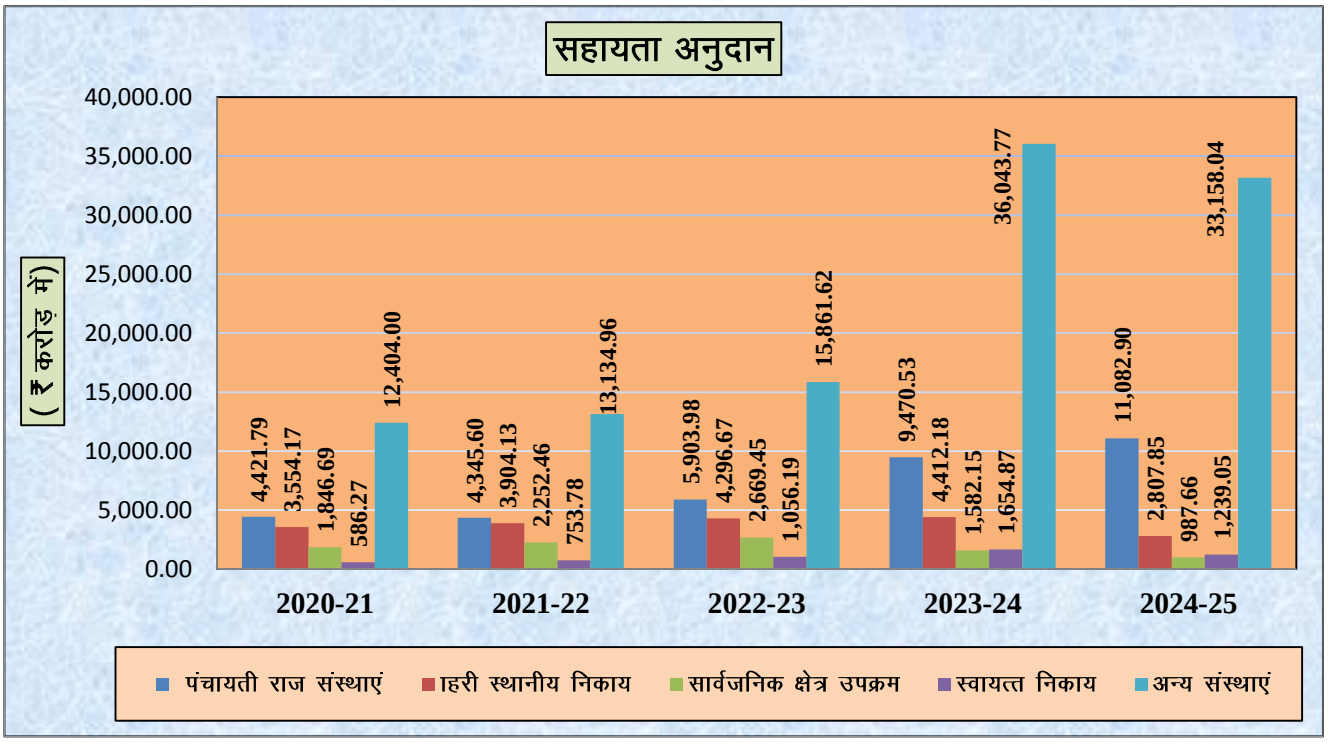

6.4 रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश

वर्ष 2024–25 के लिए राज्य सरकार के रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष निवेश की स्थिति निम्नानुसार है–

(₹ करोड़ में)

घटक	01 अप्रैल 2024 की स्थिति में	31 मार्च 2025 की स्थिति में	निवल वृद्धि(+)/ कमी(–)
रोकड़ शेष	**194.40**	**223.19**	**+28.79**
रोकड़ शेष से निवेश (भारत सरकार के कोषालय बिल एवं प्रतिभूतियां)	**5,933.48**	**3,730.77**	(–)2,202.71
उद्धिष्ठ पृथक निधियों का निवेश	**7,656.95**	**9,401.62**	**+1,744.67**
(क) निक्षेप निधि	3,701.94	4,181.94	+480.00
(ख) प्रतिभूति उन्मोचन निधि	15.00	500.00	+485.00
(ग) अन्य निधियां	3,940.01	4,719.68	+779.67
प्राप्त ब्याज	**273.34**	**518.59**	**+245.25**

6.5 लेखों का पुनर्मिलान

सभी नियंत्रण अधिकारियों के लिए आवश्यक है कि राज्य शासन की प्राप्ति एवं व्यय के आंकड़ो का प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा लेखांकित आंकड़ो से पुनर्मिलान करें।

वर्ष 2024–25 (03/2025 तक) के दौरान राज्य शासन द्वारा राशि ₹ 1,39,425.94 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 90.67 प्रतिशत) के प्राप्तियों तथा राशि ₹1,52,039.28 करोड़ (कुल व्यय का 97.06 प्रतिशत) व्यय का पुनर्मिलान किया गया, जिसमें से ₹ 304.45 करोड़ के ऋण एवं अग्रिम (कुल वितरित ऋण एवं अग्रिम का 94.65 प्रतिशत) का पुनर्मिलान किया गया है। वर्ष 2023–24 अर्थात गत वर्ष के दौरान राशि ₹1,56,605.72 करोड़ की प्राप्तियां (कुल प्राप्तियों का 99.38 प्रतिशत) का पुनर्मिलान किया गया एवं राशि ₹1,50,428.97 करोड़ के व्यय (कुल व्यय का 97.31 प्रतिशत) का पुनर्मिलान राज्य शासन द्वारा किया गया।

6.6 लेखे प्रतिपादन इकाईयों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतोकरण

छत्तीसगढ़ शासन के 34 कोषालयों, 166 लोक निर्माण संभागों, (62 भवन एवं सड़क संभागों, 42 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभागों, 62 जल संसाधन संभागों) 55 वन संभागों, 63 ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभागों तथा अन्य वेतन एवं लेखा कार्यालयों एवं भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर व्यय एवं प्राप्ति के लेखे संकलित किये गये है। वर्ष के दौरान कोई भी लेखे छोड़े नहीं गये हैं।

6.7 असमायाजित संक्षिप्त आकस्मिक व्यय बिल (ए.सी.)

वित्तीय नियम (केन्द्रीय कोषालय नियम 290) एवं छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के सहायक नियम 284 के अनुसार तत्काल किये जाने वाले संवितरण के अतिरिक्त कोई भी राशि शासकीय कोषालय से आहरित नहीं की जायेगी। आकस्मिक परिस्थितियों में आहरण एवं संवितरण अधिकारी संक्षिप्त आकस्मिक देयक के माध्यम से धनराशि आहरित करने हेतु प्राधिकृत है। छत्तीसगढ़ कोषालय नियम के सहायक नियम 327 के अनुसार नियंत्रण अधिकारियों द्वारा अंतिम व्यय के प्रमाणक सहित विस्तृत आकस्मिक देयक जिस माह में संक्षिप्त आकस्मिक देयक आहरित किये गये थे उसके आगामी माह के 25 तारीख तक प्रस्तुत किया जाना चाहिए। संक्षिप्त आकस्मिक देयक द्वारा किये गये व्यय के समर्थन में विस्तृत आकस्मिक देयकों का विलंब से प्रस्तुती या लंबे समय तक प्रस्तुत नहीं किये जाने से संक्षिप्त आकस्मिक देयक से किये गये व्यय पारदर्शी नहीं रहती है तथा वित्त लेखे में प्रदर्शित व्यय को अंतिम या सही रूप से प्रमाणित नहीं किया जा सकता।

31 मार्च 2024 तक (फरवरी 2024 के लेखे तक) ₹ 28.60 करोड़ की राशि के 442 संक्षिप्त आकस्मिक देयक विस्तृत आकस्मिक देयक के लिए देय थे। मार्च 2024 के दौरान ₹ 2,632.18 करोड़ की राशि के 120 संक्षिप्त आकस्मिक देयक आहरित किये गये। वर्ष 2024–25 में (फरवरी 2025 के लेखे तक) ₹ 5,320.31 करोड़ की राशि के कुल 289 संक्षिप्त आकस्मिक देयक आहरित किये गये जिसके विरूद्ध ₹ 5,339.86 करोड़ के 336 विस्तृत आकस्मिक देयक प्राप्त हुये। 31 मार्च 2025 तक की स्थिति में ₹ 9.05 करोड़ की राशि के कुल 395 संक्षिप्त आकस्मिक देयक असमायोजित रहे।

समायोजन हेतु देय असमायोजित संक्षिप्त आकस्मिक देयकों का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	असमायोजित ए.सी. देयको की संख्या	राशि
2022–23 तक	56	2.53
2023–24	112	0.67
2024–25	227	5.85
योग	**395**	**9.05***

* इनमें राज्य शासन द्वारा एस.एन.ए. को किये गये स्थानांतरण से संबंधित ₹ 2.50 करोड़ को ए.सी देयक सम्मिलित हैं। मार्च 2025 के दौरान ₹ 2,741.37 करोड़ (34.00 प्रतिशत) की राशि के 123 ए.सी. देयक आहरित किये गये।

6.8 उचंत तथा प्रेषण अवशेषों की स्थिति

वित्त लेखे उचंत एवं प्रेषण शीर्ष के अंतर्गत निवल शेषों को प्रदर्शित करता है। इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष राशि को विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत अलग से बकाया डेबिट और क्रेडिट शेषों को मिलाकर तैयार किया गया है। विगत पांच वर्षों के मुख्य उचंत शीर्षों के अन्तर्गत निवल आंकड़ों की स्थिति को नीचे दर्शाया गया है:–

(₹ करोड़ में)

लघु शीर्ष	2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
(अ) 8658–उचंत लेखे										
101–वेतन एवं लेखा उचंत	75.32	15.59	68.32	14.46	67.20	36.13	77.11	20.21	26.28	29.03
निवल	नामे 59.73		नामे 53.86		नामे 31.07		नामे 56.90		जमा 2.75	
102–उचंत लेखे (सिविल)	29.62	0.17	0.66	0.17	0.00	5.93	0.00	7.98	0.37	18.70
निवल	नामे 29.45		नामे 0.49		जमा (-)5.93		जमा 7.98		जमा 18.33	
109–रिजर्व बैंक उचंत–मुख्यालय	1.61	0.04	(-)1.02	(-)0.18	(-)1.13	(-)0.08	(-)1.83	(-)0.16	(-)1.49	(-)0.09
निवल	नामे 1.57		जमा 0.84		नामे (-)1.05		जमा 1.67		जमा 1.40	
110–रिजर्व बैंक उचंत–क्रेन्द्रीय लेखा कार्यालय	13.62	0.01	8.35	0.01	4.44	0.00	2.91	0.00	4.64	0.00
Net	नामे 13.61		नामे 8.34		नामे 4.44		नामे 2.91		नामे 4.64	
(ब) 8782–प्रेषण										
102–लोक निर्माण प्रेषण	74.32	9.13	86.37	15.87	53.74	14.83	62.77	9.13	123.55	9.13
निवल	नामे 65.19		नामे 70.50		नामे 38.91		नामे 53.64		नामे 114.42	
103–वन प्रेषण	50.44	5.56	39.86	6.44	44.53	5.23	45.82	5.60	53.36	7.41
निवल	नामे 44.88		नामे 33.42		नामे 39.30		नामे 40.22		नामे 45.95	

6.9 शेष उपयोगिता प्रमाण पत्र की स्थिति

छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग–1 के नियम 182 के अनुसार, वार्षिक या अनुवर्ती सशर्त अनुदान के प्रकरण में, अनुदेयी द्वारा प्राप्त सशर्त सहायता अनुदान से संबंधित उपयोगिता प्रमाणपत्र को अनुदान स्वीकृत करने वाली प्राधिकारी को प्रेषित किया जाना है जो उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं/या अनुदान प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त स्वीकृति के अनुसार जिस वर्ष से अनुदान संबंधित है उसके पश्यवर्ती वर्ष में 30 सितम्बर अथवा पहले तक महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रेषित किया जाना चाहिए। उपयोगिता प्रमाण पत्र को प्रस्तुत ना करने की सीमा तक, वित्त लेखे में दर्शाई गई राशि लाभार्थियों को प्राप्त नही होने की एक जोखिम है।

वर्ष 2023–24 के दौरान, छत्तीसगढ़ शासन ने सहायता अनुदान स्थानांतरित किये जाने हेतु ₹ 49,555.05 करोड़ का व्यय किया है। यह देखा गया कि ₹ 49,556.05 करोड़ में से, 141 उपयोगिता प्रमाण पत्रों से संबंधित ₹ 1,198.90 करोड़ के अनुदान को सशर्त अनुदान के रूप में चिन्हित किया गया था, जो उपयोगिता प्रमाण पत्र को वर्ष 2024–25 में प्रधान महालेखाकार को प्रस्तुत किये जाने हेतु चिन्हांकित किया गया था। वर्ष के दौरान, ₹ 1,198.59 करोड़ के 138 उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हुए है, जिसमें ₹ 0.31 करोड़ मूल्य के 03 असमायोजित उपयोगिता प्रमाण पत्र रहे।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा राज्यों में सहायता अनुदान तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रणाली की समीक्षा हेतु एक कार्य समूह का गठन किया गया था। कार्य समूह की रिपोर्ट छत्तीसगढ़ शासन सहित सभी मुख्य सचिवों को इस कार्यालय के पत्र दिनांक 10 सितम्बर 2025 के माध्यम से परिचालित की गई थी। कार्य समूह यह अनुशंसित किया कि राज्य शासन सक्रिय रूप से अपने कोषालय नियम तथा वित्तीय संहिता को भारत सरकार द्वारा अनुपालित सामान्य वित्तीय नियमावली 2017, जो प्रकट करता है कि लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष रूप से किये गये प्रत्यक्ष लाभ स्थानांतरण भुगतान तथा पहले ही किये गये व्यय के विरूद्ध प्रतिपूर्ति के रूप में जारी सहायता की प्रकरणों को छोड़कर सभी सहायता अनुदान हेतु उपयोगिता प्रमाण पत्रो का निरीक्षण किया जाना है, के अनुरूप व्यापक रूप से नवीनीकरण करें। छत्तीसगढ़ शासन इन अनुशंसायों को ग्रहण किये जाने हेतु तथा उपयोगिता प्रमाण पत्रों का निरीक्षण, लेखांकन एवं यथा समय प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रचलित प्रक्रिया का पुर्नलोकन किये जाने हेतु विचार कर सकती है।

6.10 विगत पांच वर्षों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.)

सकल राज्य घरेलू उत्पाद एक निश्चित अवधि में राज्य के अन्दर आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त समस्त उत्पादित अंतिम उत्पाद और सेवाओं का बाजार मूल्य है। राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण सूचक है क्योंकि यह राज्य की उत्पादन गतिविधियों के कुल मूल्य की बढ़ोतरी को दर्शाता है। वर्तमान मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद तथा राज्य सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्ति को नीचे दर्शाया गया है:–

6.10.1 जी.डी.पी. और जी.एस.डी.पी. की वार्षिक वृद्धि दर (वर्तमान मूल्यों पर)

(₹ करोड़ में)

विवरण	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24	2024–25
भारत का सकल घरेलू उत्पाद *(₹ करोड़ में)*	1,98,54,096	2,35,97,399	2,68,90,473	3,01,22,956	3,30,68,145
सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	(–)1.24	18.85	13.96	12.02	9.78
राज्य सकल घरेलू उत्पाद *(₹ करोड़ में)*	3,52,328	4,11,613	4,58,891	5,12,107	5,67,880
राज्य सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	2.22	16.83	11.49	11.60	10.89

(स्त्रोतः सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े भारत सरकार के सांख्यिकी तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के वेबसाइट पर दिनांक 30.05.2025 को जारी प्रेस विज्ञप्ति से लिया गया है एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़ें आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं)

6.11 अपूर्ण पूंजीगत निर्माण कार्यों के कारण प्रतिबद्धता

राज्य शासन द्वारा 251 अपूर्ण पूंजीगत निर्माण कार्यों पर वर्ष 2024–25 के दौरान कुल ₹ 8,348.69 करोड़ व्यय किया गया। वित्त लेखे के भाग–2 के परिशिष्ट–IX में उल्लिखित प्रत्येक ₹ 10.00 करोड़ या अधिक के अनुमानित लागत वाली ₹ 9,911.31 करोड़ के अपूर्ण परियोजनाओं/निर्माण लागत मूल्यों का विवरण निम्नवत् है–

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	निर्माण की श्रेणी (कार्यों की संख्या)	निर्माण की अनुमानित लागत	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत तक प्रगामी व्यय	लंबित भुगतान	संशोधन उपरांत अनुमानित लागत (कार्यों की संख्या)
1	जल संसाधन विभाग (134)	4,337.02	610.00	5,277.19	209.20	3,632.82(42)
2	भवन निर्माण (15)	1,365.50	50.28	1,108.84	उपलब्ध नहीं	356.07(04)
3	पुल निर्माण (19)	504.10	81.17	239.97	63.91	77.10(01)
4	सड़क निर्माण (83)	3,704.69	567.64	1,722.69	298.38	208.77(03)
योग		**9,911.31**	**1,309.09**	**8,348.69**	**571.49**	**4,274.76**

6.12 व्यक्तिगत जमा खाता (पी.डी.) में धन का स्थानांतरणः–

व्यक्तिगत निक्षेप खाते नामित आहरण अधिकारियों को योजना से संबंधित विशेष उद्देश्य के लिए व्यय किये जाने हेतु सक्षम करता हैं।

छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के नियम 543 के अनुसार तथा व्यक्तिगत जमा खाता खोलने की शर्तों के अधीन, समेकित निधि से व्यक्तिगत निक्षेप खाते में स्थानांतरित राशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर समेकित निधि के अन्तर्गत संबंधित लेखाशीर्षो, जहॉ से राशि को स्थानांतरित की गई थी, में प्रतिलेखित किया जाना है।

यद्यपि, यदि व्यक्तिगत जमा खाता तीन वर्ष से अधिक अवधि तक निष्क्रिय रहते हैं, तो इन्हें कोषालय अधिकारी द्वारा प्रधान महालेखाकार के खाते में शेष राशि के पुनर्मिलान एवं प्रमाणीकरण के पश्चात बंद किया जाना होता है। ऐसे व्यक्तिगत जमा खातों को बंद करने पर शेष राशि मुख्यशीर्ष 8443–101 के अन्तर्गत राजस्व जमा के रूप में जमा किया जाना आवश्यक है।

छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के सहायक नियम 543 के अधीन राज्य शासन के आदेश के सरल क्रमांक 2 (बी) के अनुसार व्यक्तिगत निक्षेप खातो के किसी भी प्रशासकों (129 में से) ने अपने शेषों का कोषालय के आंकड़ों (कोषालय में) के साथ पुनर्मिलान एवं सत्यापन नहीं किया तथा वार्षिक सत्यापन प्रमाण पत्र उनके द्वारा कोषालय अधिकारी को प्रस्तुत नहीं किया गया था।

31 मार्च 2025 की स्थिति में व्यक्तिगत जमा लेखे का विवरण निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

व्यक्तिगत जमा खाता का विवरण							
01 अप्रैल 2024 को प्रारंभिक शेष		वर्ष 2024–25 के दौरान वृद्धि/प्राप्ति		वर्ष 2024–25 के दौरान बंद/संवितरण		31 मार्च 2025 की स्थिति में अंतशेष	
संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
130	1,352.90	03	224.69	04	205.32	129	1,372.27

वर्ष 2024–25 के दौरान राज्य के समेकित निधि से इन व्यक्तिगत निक्षेप खाते में ₹ 25.84 करोड़ की राशि स्थानांतरित की गई। इसमें मार्च 2025 में स्थानांतरित ₹ 11.53 करोड़ सम्मिलित है। व्यक्तिगत जमा खाते से ₹ 182.14 करोड़ की राशि को आहरित की गई।

वर्ष के दौरान, चार व्यक्तिगत निक्षेप खाते, जिसमें ₹ 23.18 करोड़ की शेष रहा। व्यक्तिगत निक्षेप खाते बंद किये जाने के पश्चात ₹ 23.18 करोड़ की राशि को लोक लेखा के मुख्यशीर्ष 8443–101 (राजस्व जमा) में स्थानांतरित किया गया।

विगत तीन वर्षो में चार व्यक्तिगत निक्षेप खाते जिसमें ₹ 4.90 करोड़ की शेष राशि थी, निष्क्रिय रहा। संबंधित आंकड़े वित्त लेखे के विवरण क्रमांक 21 में उपलब्ध हैं।

6.13 निवेश

विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैकों, सरकारी कम्पनियों, संयुक्त पूंजी कम्पनियों, सहकारी संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों में किये गये शासकीय निवेशों की जानकारी वित्त लेखे के विवरण क्रमांक 8 एवं 19 में दर्शायी गयी है। वर्ष के अंत तक शासन द्वारा 1,521 संस्थाओं में ₹ 7,717.68 करोड़ का निवेश किया गया एवं राशि ₹ 1.49 करोड़ का लाभांश प्राप्त हुआ।

6.14 आरक्षित निधि की स्थिति

आरक्षित निधियों की जानकारी वित्त लेखे के विवरण क्रमांक 21 एवं 22 में उपलब्ध है। विशिष्ट उद्देश्यों हेतु 19 आरक्षित निधियां है। 31 मार्च 2025 के अंत तक इन निधियों में कुल ₹ 12,818.53 करोड़ शेष रहा, जिसमें से ₹ 9,401.62 करोड़ (73.34 प्रतिशत) निवेश किया गया। कुल संचित शेषों में ब्याज वाली आरक्षित निधियों के अन्तर्गत ₹ 5,093.95 करोड़ तथा बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियों के अन्तर्गत ₹ 7,724.59 करोड़ का शेष रहा।

6.14.1 राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ)

राज्य आपदा उन्मोचन निधि (मुख्यशीर्ष '8121–सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां' के अन्तर्गत ब्याज वाली आरक्षित निधि के अधीन है) के गठन एवं प्रशासन से संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा 75:25 के अनुपात से निधि में अंशदान किया जाना है।

वर्ष 2024–25 के दौरान राज्य शासन ने केन्द्रांश के रूप में ₹ 380.80 करोड़ (वर्ष 2024–25 की प्रथम एवं द्वितीय किस्त) प्राप्त की। अनुरूप राज्यांश ₹ 127.20 करोड़ है। ₹ 508.00 करोड़ की सम्पूर्ण राशि को मुख्यशीर्ष '8121–122 राज्य आपदा उन्मोचन निधि' में स्थानांतरित की गई। केन्द्रांश की स्थानांतरण में विलम्ब हेतु राज्य शासन द्वारा ₹ 0.76 करोड़ की राशि का भुगतान निधि में किया गया।

₹ 19.32 करोड़ को कोषालय जमा प्रत्यक्ष रूप से कोषालय द्वारा राज्य आपदा उन्मोचन निधि में जमा की गई जिसमें से ₹ 18.93 करोड़ को त्रुटिपूर्वक दर्ज की गई चूंकि इसमें ₹ 15.36 करोड, जिसे कैम्पा में दर्ज किया जाना था एवं ₹ 3.57 करोड़, जिसे राजस्व प्राप्ति के अन्तर्गत दर्ज किया जाना था, सम्मिलित है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 15.36 करोड़ से कैम्पा फण्ड में कमी तथा एस.डी.आर.एफ. में आधिक्य हुई। इसके अतिरिक्त, राजस्व प्राप्ति को ₹ 3.57 करोड़ से कम दर्शाया गया। ₹ 312.08 करोड़ का व्यय निधि से किया गया एवं अंतशेष ₹ 750.26 करोड़ रहा।

एन.डी.आर.एफ. हेतु केन्द्र सरकार से ₹ 33.24 करोड़ राशि प्राप्त हुई। वर्ष 2024–25 के दौरान केन्द्रांश ₹ 33.24 करोड़ तथा राज्यांश ₹ 11.08 करोड़ सहित राज्य शासन ने ₹ 44.32 करोड़ राज्य आपदा उन्मोचन निधि में स्थानांतरित किया।

6.14.2 समेकित निक्षेप निधि (सी.एस.एफ)

छत्तीसगढ़ शासन ने वर्ष 2006–07 में ऋणों का परिशोधन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रशासित समेकित निक्षेप निधि का गठन किया। निधि के दिशा–निर्देशों के अनुसार राज्य शासन द्वारा समेकित निक्षेप निधि में पूर्व वर्ष के अंत तक बकाया दायित्व (आंतरिक ऋण एवं लोक लेखा दायित्व ₹ 1,15,431.98 करोड) का न्यूनतम 0.5 *प्रतिशत* अंशदान किया जाना है। वर्ष 2024–25 में ₹ 577.16 करोड़ का निधि में अंशदान किया जाना था जिसके विरूद्ध शासन ने केवल ₹ 480.00 करोड़ का अंशदान किया। 31 मार्च 2025 की स्थिति में निधि का कुल संचय ₹ 4,181.94 करोड़ था (31 मार्च 2024 को ₹ 3,701.94 करोड़)।

6.14.3 प्रतिभूति मोचन निधि (जी.आर.एफ)

राज्य शासन ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रशासित प्रत्याभूति मोचन निधि का गठन किया है। राज्य शासन द्वारा जारी निधि अधिसूचना में नवीनतम संशोधन में यह निर्धारित करता है कि वर्ष 2023 से राज्य शासन प्रारंभ में विगत वर्ष के अंत में बकाया प्रत्याभूति का न्यूनतम एक प्रतिशत अंशदान करेगी तथा उसके पश्चात आगामी पांच वर्षों में 3 प्रतिशत का न्यूनतम स्तर प्राप्त करने के लिए प्रतिवर्ष न्यूनतम 0.5 प्रतिशत का अंशदान किया जायेगा। निधि को धीरे–धीरे बढ़ाकर 5 प्रतिशत के वांछनीय स्तर तक वृद्धि किया जाएगा। यदि प्रत्याभूति उन्मोचित की गई है या उन्मोचन होने की संभावना है, तो अतिरिक्त निधि (5 प्रतिशत से अधिक) बनाए रखी जाएगी।

1 अप्रैल 2024 की स्थिति में प्रारंभिक शेष ₹ 15.00 करोड़ था एवं वर्ष 2024–25 के दौरान शासन ने ₹ 485.00 करोड़ का अंशदान दिया। 31 मार्च 2025 की स्थिति में निधि के अंतशेष ₹ 500.00 करोड़ था तथा इसे ट्रेजरी बिलों में निवेश किया गया है।

जी.आर.एफ. योजना की अधिसूचना के अनुसार, राज्य शासन को ₹ 328.36 करोड़ (31.03.2024 तक कुल बकाया प्रत्याभूति ₹ 21,890.52 करोड़ का 1.5 प्रतिशत) का अंशदान देना था, जिसके विरूद्ध ₹ 485.00 करोड़ का अंशदान किया गया। 31 मार्च 2025 की स्थिति में प्रत्याभूति मोचन निधि का अंतशेष ₹ 500.00 करोड़ है।

6.14.4 उपकर का अस्थानांतरण (अधोसंरचना विकास उपकर एवं पर्यावरण उपकर)

वर्ष 2024–25 के दौरान, शासन ने ₹ 361.34 करोड़ (वर्ष 2023–24 के दौरान ₹ 395.90 करोड़) संग्रहित किये, जिसमें अधोसंरचना विकास उपकर (₹ 180.67 करोड़) एवं पर्यावरण उपकर (₹ 180.67 करोड़) सम्मिलित है। वर्ष 2024–25 के दौरान राज्य शासन द्वारा निर्दिष्ट निधि में कोई राशि स्थानांतरित नहीं की गई। ₹ 361.34 करोड़ का कम स्थानांतरण राजस्व व्यय को कम दर्शाता है।

© भारत के नियंत्रक
महालेखापरीक्षक

www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/ae/chhattisgarh/hi